हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, 29 अगस्त, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डा0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.00 बज़े पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

29.08.2019/1100/बी0एस0/ए0जी0/1

प्रश्न संख्याः 1429

मुख्य मंत्री : सूचना एकत्रित की जा ही है।

अध्यक्ष : इससे पहले की मैं अगले प्रश्न के लिए माननीय सदस्य का नाम बोलूं,
मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कल लोक सभा में "अध्यक्ष सम्मेलन" का आयोजिन किया गया जिसकी अध्यक्षता लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई। इसमें विधान मण्डलों एवं विधान सभाओं के 30 माननीय अध्यक्षों ने भाग लिया। यह चर्चा 10.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई और 05.00 बजे अपराह्न समाप्त हुई। उसमें सभी माननीय अध्यक्ष इस बात को ले करके चिंतित थे कि तारांकित प्रश्न 20-50 तक चर्चा के लिए लगाए जाते हैं परंतु चर्चा केवल दो-चार या दस प्रश्नों पर हो पाती है। बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, विजय चौधरी जी ने वहां पर कहा कि मैंने 50 प्रश्नों पर एक दिन में चर्चा करवाई। उनका यह भी कहना था कि अलबत्ता यह रोज नहीं हो पाता परंतु हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई कि ज्यादा-से-ज्यादा एजेंडे लगें और विषय वस्तु के ऊपर ही माननीय सदस्य चर्चा करें। आने वाले समय में यह हो सकता है कि लोक सभा की तरफ से कोई ऐड्वाइज़री भी आए। हमारा भी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम-से-कम समय में निकालें। ऐसा महत्वपूर्ण विषय वहां पर चर्चा के लिए आया ।

अगला प्रश्न श्री रमेंश चन्द धवाला जी।

29.08.2019/1105/DT/AG/-1

प्रश्न संख्याः 888

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भले ही दिखने में छोटा है लेकिन इसका भाव देखिए, गत तीन वर्षों में जनवरी 2018 तक कितने कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है? इस दौरान इन्हें कितनी धन राशि प्रदान की गई, श्रेणीवार ब्यौरा दें। जो यह श्रेणीवार ब्यौरा दिया जाता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोलैक्ट होती है। सूचना इक्ट्ठा करने में वक्त लगता है, सूचना छिपाने की तो कोई बात ही नहीं है।

अध्यक्षः क्या यह सूचना अगले सत्र तक उपलब्ध हो जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अगले सत्र तक यह सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नारा दिया था टायर्ड और रिटायर्ड नहीं चलेंगे। ऐसी क्या बात हो गई कि आपको रिटायर्ड रखने पड़ रहे हैं और एक्सटैंशन देनी पड़ रही है। सूचना इतनी लम्बी हो गई कि सूचना आ नहीं पा रही है। नहीं तो आप कहते कि मैंने एक-दो को दी है। जैसी आपकी सोच थी वैसी ही आपकी नीति थी। रिटायर्ड के लिए एक्सटैंशनज़ का जो दौर है और जो आपने किया है वह सूचना तो दे दो।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है और इस पर बोलने की जरुरत नहीं है। इसके बावजूद भी पुराने मामले को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुदाई में बहुत कुछ निकलेगा। आपके समय में वह नम्बर इतना ज्यादा हो गया था परंतु हमारे समय में गुण-दोष के आधार पर दिया लेकिन वह नम्बर बहुत कम है। जब यह सूचना आ जाएगी और आप इसका कंपैरिज़न करेंगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा।

प्रश्न संख्या1510

श्रीमती कमलेश कुमारी :(भोरंज) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न था उसका जो उत्तर है वह विस्तार से दिया है। जो विधवाएं है कम उम्र की आयु में विधवा हो जाती है उनके बच्चों के लिए जैसे की मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत उनकी छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें पांच हजार रूपये से बढ़ा कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब 6000 हजार रूपये किए थे। पहले तीन हजार रुपये थें फिर पांच हजार रुपये किए और अब बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया है। इसके लिए में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं अगर में अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो सैंकडों परिवार ऐसे हैं जब सुबह होती है तो ऐसी विधवाएं जो घर में बैठ जाती है की उनके परिवार में सास है दादी सास है, दो बच्चे हैं, एक परिवार में 5-6 व्यक्तियों को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जी की अनुमति से माननीय सदन से में यह कहना चाहूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी जो कम उम्र की विधवाएं हैं इनके बच्चो के पालन -पोषण के लिए सरकार आगे क्या कदम उठा रही है? इसके बारे में मै जानना चाहती हूं।

29-08-2019/1110/डी.सी.-एन.जी./1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी का प्रश्न बड़ा सामयिक है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा की उन्होंने इस माननीय सदन में यह प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा, हमारे विभाग का कार्य समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है और आज के समय में भी जिन लोगों के पास जीवन-यापन की प्रयाप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। आपने विधवाओं के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार के बजट आश्वासनों में, जिसे मैं अभी यहां पढना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं,

माननीय सदस्या की जो चिन्ता है उसका उत्तर इस बजट आश्वासन में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट आश्वासन में कहा था कि "कम उम्र में हुई विधवाओं को जीवन-यापन के साधन जुटाने में सबसे अधिक कठनाई पेश आती है, आवश्यक कौशल के अभाव में रोज़गार अथवा स्वरोज़गार के रास्ते भी उनके लिए सीमित रहते हैं। अतः मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को नर्सिंग संस्थानों तथा आई.टी.आई. में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। जिस से कि वे उचित प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार पाने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त कम पढ़ी-लिखी विधवाओं को कौशल विकास निगम और श्रम एवं रोज़गार विभाग की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा और इनके लिए उचित वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाएगा।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आश्वासन पर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कम उम्र में हमारी बहनें विधवाएं हो जाती हैं, उनके उपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, परिवार की भी जिम्मेवारी उन पर आ जाती है और यदि बच्चे हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी उन्हीं पर आ जाती है, उस नाते यदि वह विधवा बहन पढ़ी-लिखी है तो हमने कौशल विकास निगम को निर्देश दिए हैं कि उन महिलाओं को स्वरोज़गार अर्जित करने के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे परिवार जिनकी बेटी है और वह परिवार उसके विवाह का खर्च नहीं उठा सकता, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उसमें उन विधावाओं की बेटियां भी आ जाती है जिनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, उन्हें सहायता के तौर पर 2 जुलाई से पूर्व 40 हज़ार रुपये धनराशि दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 51 हज़ार रुपये कर दिया गया है जोकि समान रूप से सभी को दी जा रही है। पहले यह 51 हज़ार रुपये की धनराशि केवल अनुसुचित जाति परिवारों के लिए ही होती थी परन्तु अब यह सभी के लिए है। इस सम्बन्ध में यदि और भी सुझाव होंगे, जिन माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है या और भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन में बैठे हैं, कि क्या नया हो सकता है तो **हम उन सभी विचारों एवं सुझावों**

<u>पर विचार करने के लिए तैयार हैं और यदि भविष्य में इसकी नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो वह भी हम करने को तैयार हैं।</u>

श्री सुख राम (पांवटा साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो महिलाएं 40 वर्ष से कम आयु में विधवा हो जाती हैं, उनके ऊपर मुसिबतों का पहाड़ टूट जाता है, उनके बच्चे जो अभी स्कूल गोइंग होते हैं, तो क्या सरकार उन विधवा महिलाओं की पैंशन लगाने के लिए आमदनी की कंडिशन में छूट देकर उनकी पैंशन लगाएगी?

29/08/2019/1115/RG/DC/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो पेन्शन प्रदान की जा रही है और इसके जो प्रावधान हैं, उसके अन्तर्गत जो हमारे प्रदेश की विधवा पेन्शन योजना है, उसमें 35,000/-रुपये की इनकम का क्राईटेरिया रखा गया है। माननीय सदस्य का एक अच्छा सुझाव है।

अध्यक्ष : क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से उत्तर दे भी चुके हैं और दे भी रहे हैं। माननीय श्री सुख राम जी ने जो विषय यहां हमारे ध्यान में लाया है, ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है और अगर वे 40 वर्ष से पहले ही विधवा हो जाती हैं, तो इतनी कम आयु में उनको बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और बच्चों के साथ तो गुजारा करने में उनको और भी कठिन परिस्थितियों का सामना पड़ता है। **इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य ने यहां जो सुझाव दिया है, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो इनकम क्राईटेरिया का जिक्र किया गया है, उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। क्योंकि यह बहुत ऐसा संवेदनशील विषय है और मुझे लगता है इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है।**

अध्यक्ष : बधाई हो, आपको।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु(नदौन) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो कम उम्र की महिलाएं विधवा हो जाती हैं, जैसे यहां क्राईटेरिया की बात की कि उसमें माननीय मुख्य मंत्री छूट देंगे? इसके अतिरिक्त उनको जो विधवा मासिक पेन्शन मिलती है क्या उसको भी इन्क्रीज करेंगे जिन महिलाओं की उम्र 40 वर्ष से कम है?

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसको प्रश्न कम और सुझाव के तौर पर ज्यादा देख रहा हूं। **माननीय मुख्य मंत्री जी ने मैं समझता हूं कि यहां जो बयान दिया है, उसमें सब कुछ समाहित है और निश्चित तौर पर भविष्य में आपके सुझाव के ऊपर भी विचार करेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।**

श्री होशयार सिंह(देहरा) : अध्यक्ष महोदय, यह विधवाओं के साथ औरफैन के बारे में भी एक प्रश्न है जो औरफैन होते हैं, उन्हें 18 साल की आयु तक पेन्शन दी जाती
है और 18 वर्ष के बाद उनकी पेन्शन बन्द हो जाती है। लेकिन जो औरफैन बच्चों की पढ़ाई की उम्र होती है वह 22 से 24 वर्ष तक होती है। तो क्या सरकार इसको देखते हुए उनकी पेन्शन की आयु बढ़ा सकती है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और आगे चलकर कहीं अच्छी नौकरी कर सकें?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी क्या आपके पास औरफैन का उत्तर है? अगर है तो दीजिए, अन्यथा माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह प्रश्न औरफैन के बारे में है लेकिन जो मूल प्रश्न है, वह विधवाओं को लेकर है और उनकी समस्याओं से सम्बन्धित है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विधवाओं की यदि कोई कन्या पढ़ाई कर रही है तो मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 10वीं कक्षा, प्लस टू और ग्रेजुएशन लेवल तक ऐसी जो 10 प्रथम मेरीटोरियस कन्याएं हैं, उनके लिए 10,000/-रुपये की राशि स्कॉलरशिप के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन **इन्होंने जो सुझाव औरफैन के बारे में यहां रखा है, उसके बारे भी हम निश्चित तौर से विचार करेंगे।**

अध्यक्ष : कन्याओं को पढ़ाई तो वैसे ही निःशुल्क है।

प्रश्न सं. 1511

श्री रमेश चंद ध्वाला(ज्वालामुखी) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग वर्ष 2001, 2002 और वर्ष 2003 में पार्ट टाईम पर लगे। वे 12 साल तक पार्ट टाईम पर रहे और सात साल उनको डेली पर लगे हुए हो गए हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे उनको कब तक पक्का किया जाएगा?

29/08/2019/1120/MS/HK/1

बाकी आप कह रहे हैं कि बड़े सारे प्रश्न निकलने चाहिए। विभाग ने जो उत्तर दिया है वह मैंने देख लिया है और उसमें कहा गया है कि हमारे पास कोई वैकेन्सी नहीं है। जो हमने आर0टी0आई0 के तहत नकल ली है उसके अनुसार विभाग में 184 वैकेन्सीज हैं। आप कहें तो मैं जिलावार बता दूं?

अध्यक्षः आप इनको सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वालाः केवल दो-तीन जिले हैं इसलिए मैं बता ही देता हूं। इस सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक अधिकारी कांगड़ा में 81 पद, हर्बल गार्डन जोगेन्द्र नगर में 9 पद, जिला आयुर्वेद अधिकारी रिकाँगपिओ में 6 पद, लाहौल-स्पिति में 4 पद, कुल्लू में 8 पद, जोगेन्द्र नगर फार्मेसी में 66 पद और निदेशालय में 10 पद खाली हैं। इस तरह कुल 184 खाली पद बनते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सूचना में और विभागीय सूचना में भिन्नता कैसे है? अधिकारियों ने कैसे यह सूचना दी है कि हमारे पास कोई वैकेन्सीज ही नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें से कई लोग अब नौकरी के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं और कइयों की नौकरी दो महीने, छः महीने और एक साल की बची है परन्तु वे अभी तक भी नियमित नहीं हुए हैं। यह नीति है कि पांच साल में किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यदि वह दैनिक वेतन भोगी लगा है, उसको पक्का किया जाएगा। इन्होंने कौन सा पाप किया है कि ये लोग 15-18 साल के बाद भी नियमित नहीं हो रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मेरा यह कहना है कि यह धरातल और वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय आयुर्वेद विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल 1093 स्वीकृत पद हैं और वे सभी पद भरे हुए हैं। दूसरे, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय आयुर्वेद विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 190 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और उनमें से 181 ऐसे हैं, जैसे माननीय सदस्य ने भी कहा है कि किसी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं और कई सेवानिवृत्ति के बिल्कुल नज़दीक हैं तथा 9 ऐसे हैं जिनकी समयावधि अब पांच साल से भी कम है। ये कुल-मिलाकर 190 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनते हैं। अब ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित तभी होंगे, जब पद खाली होंगे और वर्तमान में विभाग में कोई भी पद खाली नहीं है। ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कई बार मुख्य मंत्री जी से और हमसे भी मिले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस विषय को प्राथमिकता से लिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी शर्तें नियमित होने के लिए पूरी कर दी हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। ऐसी एक प्रस्तावना हम लेकर आए हैं और मुख्य मंत्री जी के आश्वासन पर हमने इस पर कार्रवाई भी की है तथा कागज़ात तैयार किए हैं। वित्त विभाग और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे कहा है कि इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब पद सृजित हो जाएंगे तो जो नियमित होने वाले कर्मचारी हैं, वे नियमित हो जाएंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसे-जैसे रिक्तियां हो रही हैं, वैसे-वैसे उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं। 1 जून, 2014 को हमने 14 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है लेकिन सबको नियमित करने में लम्बा समय लगेगा। इस तरह से कई लोग इनमें से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री रमेश चंद ध्वालाः वैसे तो रीति-नीति है कि प्रश्न का जवाब देना ही होता है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ कहा जा रहा कि विभाग में कोई पद ही खाली नहीं है और दूसरी तरफ आर0टी0आई0 के अंतर्गत प्राप्त सूचना में कहा जा रहा है कि 184 पद खाली पड़े हुए हैं।

29.08.2019/1125/जेके/एचके/1

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से 2017 तक कितने लोगों को पक्का किया गया तथा वर्ष 2018 से 31.07.2019 तक कितने दैनिक भोगियों को नियमित किया गया है? मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि ये सबसे निर्धन व्यक्ति हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त तो कर दिया है लेकिन वे कह रहे हैं कि जब वेकैंसिज़ होंगी, तब देखेंगे। बाकी जिलों के तो पक्के हो गए लेकिन कांगड़ा जिला का कोई भी पक्का नहीं हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1.06.2019 को 14 दैनिक भोगी नियमित किए गए। दूसरे, वर्ष 2013 में 513, वर्ष 2016 में 100, वर्ष 2017 में 63, वर्ष 2018 में 28 और वर्ष 2019 में अभी तक 14 दैनिक भोगी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया गया। माननीय सदस्य ने जो आर.टी.आई का विषय यहां पर रखा है, हमने इसमें काम किया और प्रोजैक्ट बनाया कि भविष्य में क्या सम्भावनाएं हो सकती हैं। हमारा जो आयुर्वेद विभाग है, उसमें 198 पोस्टें दैनिक भोगियों की हैं और 37 पोस्टें पार्ट टाइम की है। लगभग 195 का यह आंकड़ा बनता है। मैंने आपको आश्वस्त किया कि मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद इस पर कार्रवाई करना शुरू की है। ये नियमित तभी होंगे जब नई पोस्टें क्रियेट होंगी। मैं यही कह सकता हूं कि जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से इन्तज़ार कर रहे हैं, उनको अवश्य राहत मिलेगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी, आपकी बात हो गई है। माननीय सदस्य प्लीज आप एक मिनट के लिए बैठिए। हमने तय कर लिया कि दो बार सप्लीमेंटरी वही करेगा जिसका प्रश्न होगा और दो सप्लीमेंटरी बाकी सदस्य को देंगे। आपका विषय आ गया है, अब श्री राम लाल ठाकुर जी।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हमारी आयुर्वेद डिपार्टमैंट की फार्मेसीज़ हैं, उनमें क्या उस श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं? मेरे इल्म के मुताबिक जो फार्मेसीज़ सरकारी हैं, वहां पर दो सालों से कोई भी दवाई नहीं बन रही है। दो करोड़ रुपए सलाना सैलरी हैड से उनको पेमैंट मिल रही है। जो दैनिक भोगी कर्मचारी वहां पर हैं, उनकी सैलरी कहां से निकल रही है? दूसरे जो फार्मेसीज़ बन्द पड़ी हैं, उनमें दवाइयां क्यों नहीं बन रही हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अगर नियम के तहत दैनिक भोगी आते होंगे तो अवश्य नियमित होंगे। उनकी सैलरी भी आयुर्वेद विभाग से ही विद्ड्रॉ हो रही होगी। मैंने यहां पर कुल आंकड़ा 190 का बताया है, उसमें जिस भी श्रेणी के और जहां भी लगे हैं उनको अवश्य आने वाले दिनों में राहत मिलेगी।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद विभाग के अन्दर पंचकर्मा की पद्धति शुरू की गई और उसकी काफी चर्चा होती है। इसमें जहां रोगियों को उपचार देने की बात है वहीं उसको टूरिज्म के साथ जोड़ने की चर्चा पिछले कई वर्षों से चली हुई है। लेकिन आयुर्वेद विभाग में जो पंचकर्मा का कार्य है, उसके लिए विभाग के द्वारा कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को थैरेपिस्ट की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उसके कारण न तो थैरेपी होती है और जहां पर उनकी पोस्टिंग है वहां पर भी वे ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं।

29.08.2019/1130/SS-YK/1

हमारा कहना है कि जिन्होंने पंचकर्मा थेरेपी की है उनको पद सृजित करके लगाया जाए ताकि जिस उद्देश्य के साथ पंचकर्मा को इस विभाग के साथ जोड़ा गया है उसकी पूर्ति हो। जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं वहां वे ठीक से कार्य कर सकें। दोनों बातों में ठीक से कार्य हो। इसलिए पंचकर्मा थेरेपिस्ट के पद सृजित किये जाएं, उनको वहां नियुक्ति दी जाए ताकि जिस उद्देश्य को लेकर यह पद्धति लाई गई है उसकी पूर्ति हो।

अध्यक्षः यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। अगर माननीय मंत्री जी के पास इसका उत्तर है तो वे दे सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति पंचकर्मा और शिरोधारा है यह अलग-अलग उपचार की पद्धतियां हैं। वैसे माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है **परन्तु मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की भी प्रस्तावना है कि जिन अस्पतालों या ए0एस0सी0 में पंचकर्मा की व्यवस्था शुरू की है वहां पर मसाज़र लगाये जायेंगे। हमने उनको प्रशिक्षण भी दिलवाया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हमें इस विषय में आश्वस्त किया है कि इनकी भी एक प्रॅपोज़ल बनाएं ताकि जिनको हमने प्रशिक्षण करवाया है उनको उन अस्पतालों में बतौर मसाज़र लगाया जा सके या जो पंचकर्मा/शिरोधारा है या अन्य आयुर्वेदा की उपचार पद्धतियां हैं उसमें उनको लगाया जा सके।**

अध्यक्ष महोदय, दूसरा यहां पर आर0टी0आई0 और विभाग का प्रश्न आ रहा है तो मैंने जो यहां पर उत्तर दिया है वह जिम्मेवारी से दिया है। जो मैंने कहा है वह तथ्यों पर आधारित है।

प्रश्न संख्याः 1512

श्री पवन नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तीन सड़कें शिलाघराट ऑयल, प्लियूर-दरवला और साज-फतेहपुर सैंक्शंड हुई हैं और इसका एन0पी0वी0 भी जमा हो गया है परन्तु हैरानी की बात है कि सात महीने हो गए हैं लेकिन आज तक पेड़ नहीं काटे गए हैं। जब डिपार्टमैंट के पास जाओ तो वे कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। या तो रिक्त पदों को भरा जाए या फिर डिपार्टमैंट को हिदायत दी जाए कि जल्दी-से-जल्दी दरख्त काटे जाएं क्योंकि इसके टेंडर हो गए हैं और ठेकेदारों की वहां पर मशीनें भी खड़ी हैं। परन्तु सात महीने हो गए हैं ये पेड़ नहीं काट रहे हैं। जब पैसे जमा हो जाएं तो दो महीने के अंदर पेड़ काटने पड़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि या तो रिक्त पद भरे जाएं या फिर ये दरख्त काटे जाएं।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल अलग है। इनका मूल प्रश्न केवलमात्र जानकारी के लिए है कि 31.7.2019 तक चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं और इन्हें भरने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है? इस बारे में माननीय सदस्य को विस्तृत उत्तर दिया गया है। चम्बा विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग में कुल 149 पद स्वीकृत हैं। उनमें से केवल 29 पद रिक्त हैं। उनमें से भी क्लास-II में चार पद रिक्त हैं। क्योंकि अभी वन राजिक के जो पद हैं वे लोक सेवा आयोग से रिक्त पदों के विरूद्ध सिलैक्ट हो कर आए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 66 पद उप वन राजिकों से पदोन्नति से भरे जाने हैं। उसके लिए भी हि0प्र0 लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है।

हि0प्र0 वन विभाग में उप वन राजिकों श्रेणी-III के रिक्त 23 पदों को भरने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अरण्यपालों से पात्र वन रक्षकों की सूची बनाने के आदेश कर दिये गये हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ उप वन राजिक के 4 रिक्त पद हैं

29.08.2019/1135/केएस/वाईके/1

और इस क्षेत्र में सिर्फ चार उप वन राजिक के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। माननीय सदस्य ने जो पेड़ कटान सम्बन्धी सूचना मांगी, उसकी अभी हमें जानकारी नहीं है क्योंकि उनका प्रश्न रिक्तियों से सम्बन्धित था लेकिन पेड़ काटने की समय-सीमा जो इन्होंने बताई, उसको कम करने पर विभाग विचार कर रहा है।

श्री पवन नैय्यर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है, हम कैसे काटेंगे? सात महीने का समय हो गया है जबकि समय सीमा 60 दिन है । तो मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि विभाग को यह हिदायत दी जाए कि या इन रिक्त पदों को भरा जाए या हमारे पेड़ काट दिए जाएं क्योंकि इसके टैंडर हो गए हैं।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के केवल 29 पद, क्लास-iv से ले कर क्लास-I तक यहां खाली हैं और 120 पद भरे हुए हैं। पद की रिक्तियों के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को हम लोक सेवा आयोग या स्टाफ सलैक्शन बोर्ड से या सीधी भर्ती द्वारा भर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि **पेड़ काटने का काम विभाग नहीं करता, यह फोरैस्ट कॉर्पोरेशन ठेकेदार से माध्यम से करती है। इसकी जानकारी ले लेंगें कि क्यों यह विलम्ब हो रहा है, वन निगम के अधिकारियों को भी आदेश दिए जाएंगें कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें।**

प्रश्न संख्या: 1513

श्री सुख राम: माननीय अध्यक्ष महोदय, पांवटा नगर परिषद का सारा कूड़ा यमुना नदी के किनारे फेंका जाता है। हर दिन कम से कम 20 कूड़े के ट्रक वहां पर फेंके जाते हैं। आठ दिन के बाद उनको आग लगाकर फूंका जाता है। पूरा प्रदूषण पांवटा शहर में जाता है। कई बार वहां पर सामाजिक संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में आंदोलन भी किए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो चार दीवारी का काम चला है, वह मेरी सूचना के अनुसार इस समय बंद पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विधान सभा के पटल पर आश्वासन चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? इस कार्य की समय-सीमा निर्धारित की जाए ताकि जब इसका कार्य पूर्ण हो जाए, तो मैं मंत्री महोदया जी से इसका उद्घाटन करवा सकूं।

शहरी विकास मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे पांवटा शहर का एम.सी. का गीला कचरा शमशान घाट के पास खाली भूमि पर रखा गया है और उस स्थान पर भी, जहां पर यह कचरा है, पांच कम्पोज़िट पिट्स का निर्माण किया गया है

ताकि गीले कचरे की खाद बने। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो इसमें नगर परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत भाटांवली केदारपुर में 5 बीघा भूमि खसरा नम्बर 507 व 508 कूड़े के निस्तारण के लिए विभाग के नाम हस्तांतरित करवाई गई है। वहां चारदीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है जिसके लिए 5 लाख रुपये की राशि का टैंडर हुआ था और यह 6 फीट बननी है। जहां चारदीवारी का निर्माण कार्य हो रहा है वहां 15 कम्पोज़िट पिट्स इनक्लूड हैं। इसके अतिरिक्त वहां 45 कम्पोज़िट पिट्स और सूखे कूड़े की छंटाई के लिए मटीरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण करवाया जायेगा जिसके लिए विभाग ने अलग से 23 लाख रुपये की राशि दी है। प्रदेश में कुल 54 यू0एल0बीज0 हैं जिसके लिए 1.18 करोड़ रुपये की राशि से बेलिंग मशीनें खरीदी गई हैं जिसमें से एक मशीन पांवटा में भी दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से पहले गांव के लोगों ने इसका काम बंद करवाया था कि शहर का कूड़ा गांव से नहीं जायेगा तो उनके साथ इस बारे में पूरी बातचीत हो गई है और ठेकेदार को काम पुनः शुरू करने के लिए कह दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक **उसने इसका काम शुरू भी कर दिया है और 31 अक्तूबर तक इस सारे काम को पूरा कर दिया जायेगा।**

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर खाद बनाने के लिए संयंत्र लगा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां पिछले 10-15 साल से खाद बन रही है तो वह खाद कहां-कहां बेची गई और नगर परिषद् को उससे कितनी राशि प्राप्त हुई? मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर कोई खाद नहीं बन रही है। वहां सारे कूड़े को इक्टठा करके उसे 7-8 दिन बाद आग लगाकर जला दिया जाता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और यमुना नदी एक पवित्र नदी है जिसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए इस कूड़े संयंत्र का काम जल्दी पूरा कीजिए ताकि वहां पर कचरे की खाद बन सके।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसके लिए विभाग ने पैसे दे दिए हैं और उसका काम भी शुरू करवा दिया है। पहले वहां पंचायत के लोगों के विरोध के कारण जो काम रुका था उस संदर्भ में विभाग ने उनसे बैठक की है और ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। यह बात सही है कि आप उसके बारे में चिंतित है मगर विभाग भी इस कार्य में संवेदनशीलता के साथ लगा हुआ है। मैंने आपसे कहा है कि इस काम को हम उस ठेकेदार से 31 अक्तूबर तक पूरा करवा देंगे। कूड़े के सैग्रीगेशन की बात करें तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे लोग अभी यहां पर विदेशों की तरह ज्यादा सैंसिटिव नहीं हैं। हमारे लोग सारा कचरा इक्टठा ही एक जगह पर फेंक देते हैं। उसको कबाड़ वाला भी सैग्रीगेट करता है और उसमें से लोहा, शीशा, प्लास्टिक इत्यादि निकालता है जो कि अलग से बेचा जाता है। कुछ सीमेंट प्लांट में भी बेचा जाता है और कुछ मैंने जो अभी वहां पिट्स बनाने की बात कही थी कि इसमें 45 कम्पोज़िट पिट्स बनेंगे। इस तरह से हम धीरे-धीरे लोगों की आदतें भी सुधार रहे हैं और आप भी उनको शिक्षित करें कि इसको सैग्रीगेट करके एम0सी0 को दिया जाए क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगता है। लेकिन **फिर भी मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि विभाग ने इस काम को शुरू कर दिया है और इसको पूरा भी हम करवायेंगे।**

प्रश्न संख्या : 1514

श्री अनिरुद्ध सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जवाब शिक्षा मंत्री जी दे रहे हैं और निर्वाचन क्षेत्र भी इन्हीं का है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लक्कड़ बाजार बस स्टैंड में जो ए0डी0बी0 का प्रोजैक्ट लगने जा रहा है, यह एक बहुत अच्छी बात है।

29.08.2019/1145/टी.सी.वी./ए.जी.-1

लक्कड़ बाजार बस स्टैंड में ट्रैफिक की समस्या आये दिन आती रहती है और इसके बारे में अक्सर अखबारों में भी ख़बर छपती आ रही है। विधान सभा में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है। इस विषय में मेरी जिलाधीश, शिमला से बात हुई थी। उन्होंने अवगत करवाया कि

लौंगवुड के साथ टनल के बाहर जो टैक्सी स्टैंड, लोक निर्माण विभाग का स्टोर व जे.ई. ऑफिस इत्यादि है, उनको हटाकर वहां पर बस स्टैंड - rather we can call it a bus stop, not a bus stand - शिफ्ट किया जायेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात से भलीभांति परिचत है कि इस लौंगवुड के रास्ते में ऑकलैंड, चैप्सली और आर.के.एम.वी. स्कूल व कॉलेज पड़ते हैं जिनमें लगभग 6-7 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा कैलस्टन, लौंगवुड, हरि निवास और भराड़ी क्षेत्र के लोग भी यहां से गुजरते हैं। वर्तमान में यहां से वनवे टैफिक किया गया है। मेरा सुझाव है कि लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को वहां से शिफ्ट किया जाये। मैंने पहले भी कई बार इस विषय को विधान सभा में उठाया है कि यह ढली के लिए शिफ्ट होना चाहिए। ढली में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास आधा किलोमीटर के करीब समतल जगह है। वहां पर उनके टिकट कांउटर बने हुए हैं और पार्किंग की जगह भी उपलब्ध है। ढली में जो बसें बाहर से आयेगी, वे ढली तक ही आएगी और वहीं से वापिस हो जायेंगी, जिससे शिमला में ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के बारे में तर्क यह दिया जाता है कि लोग बाजार से सामान खरीदते हैं और यह बस स्टैंड उनको नजदीक पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बाहर की बसें सिर्फ ढली तक आयें और वहीं से वापिस हो जायें। इस तरह से इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। माननीय मंत्री आप कुछ कहना चाहते हैं?

Education Minister: Speaker, Sir, this is a good suggestion for action. इस बारे में हम आपस में बातचीत कर तय कर लेंगे कि शिमला शहर के लिए क्या उपयुक्त है? वैसे जहां आइस स्केटिंग रिकं है, वहां पर भी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का विचार है, लेकिन अभी यह लैंड विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है और इस बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। जब इस बारे में कोई डिसीजन लेना होगा तो इनके सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे। यह मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है लेकिन साथ ही मेरे मित्र माननीय

सदस्य श्री अनिरूद्ध जी की कांस्टिच्यूंसी भी लगती है। हम दोनों मिलकर माननीय परिवहन मंत्री जी से इस बारे में विचार-विमर्श कर लेंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, ये दोनों आपस में मिलकर इस पर विचार-विर्मश कर लेंगे। हां, आपकी कांस्टिच्यूंसी भी साथ ही है।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा, हालांकि यह इनका डिपार्टमैंट नहीं है, यह जो जगह बस स्टैंड के लिए ऑकलैंड स्कूल (टनल) के साथ प्रपोज़ की जा रही है, आने वाले समय में आई.जी.एम.सी. की ओ.पी.डी. भी उसी जगह पर बन रही है। आई.जी.एम.सी. के पास पहले ही बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। इसलिए माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध जी ने जो प्रपोजल दिया, I totally second it, कि इसको ढली शिफ्ट जाये क्योंकि वहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की ज़मीन भी उपलब्ध है। उससे शिमला के अंदर जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, वह बाहर ही रुक जायेगा। जैसा इन्होंने कहा कि इस एरिया में वैसे भी बहुत से स्कूल हैं, इसलिए ऑकलैंड टनल के साथ इस बस स्टैंड को शिफ्ट न किया जाये।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह का इस प्रश्न में सप्लीमेंटरी करना, यह दर्शाता है कि शिमला शहर की जो तीन कांस्टिच्यूंसीज़ हैं, उनके तीनों नुमाईंदे अलग-अलग पार्टियों से हैं, लेकिन सोच एक रखते हैं। इसलिए हम तीनों मिलकर, यहां की कंजैशन के बारे में भी बात कर लेंगे और इन्होंने जो सुझाव दिया है कि वहां पर आई.जी.एम .सी. की ओ.पी.डी. भी शुरू होगी तो निश्चित रूप से यह भी एक प्रश्न है।

29-08-2019/1150/NS/DC/1

जब आई0जी0एम0सी0 का ओ0पी0डी0 ब्लॉक बन जाएगा और वहां पर पार्किंग बनेगी तो लोगों को आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए तथा बस स्टॉप वहां पर शिफ्ट होना है या नहीं होना है, यह विचारणीय विषय है। इसको हम आपस में विचार करके तय करेंगे ताकि शिमला स्मार्ट सिटी के रूप में डिवैल्प हो और लोगों को सुविधाएं भी मिलें। जहां तक ढली

बस स्टैंड के बारे में कहा गया है तो यह ऑलरेडी BSMDA (Bus Stand Management and Development Authority) की कंसीडरेशन में है और इस पर पहले से ही विचार चल रहा है।

श्री नरेन्द्र बरागटाः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब काफी विस्तार से दे दिया है। मैं भी यहां से विधायक रहा हूं और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लक्कड़ बाजार का बस अड्डा बहुत पुराना है। यह बस अड्डा जिला किन्नौर, मंडी, कुल्लू और शिमला को cater for करता रहा है। माननीय राकेश सिंघा जी के एरिया को भी कवर कर रहा है। मेरे बोलने का अर्थ है कि जिला शिमला के सारे क्षेत्र को यहीं से बसें जाती हैं और यहां से बहुत सारा ट्रैफिक गुज़रता है। With the passage of time, Hon'ble Education Minister is right कि कंजैशन इतनी बढ़ गई है और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हमें शिमला शहर को पर्यावरण से भी बचाना है और टूरिज्म आगे बढ़े, इसको भी हमने सप्लीमेंट करना है। मेरा, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें सीधे-सीधे 6-8 जिले इनवॉल्वड हैं। यह मामला केवल तीन विधायकों के बीच नहीं है बल्कि इसमें आधा हिमाचल प्रदेश शामिल है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आप अपने संज्ञान में एक बैठक लें और उस बैठक में माननीय सुरेश भारद्वाज जी व अन्य संबंधित विधायकों को भी बुलाएं तथा इस बस स्टैंड को किसी और जगह बनाएं व सुविधाजनक बनाएं। यह यहां पर ठीक कहा गया है कि ऑकलैंड टनल के पास ओ0पी0डी0 आ रही है और वहां पर कॉलेज, स्कूल और बहुत सारे इंस्टीच्यूशन्ज़ आसपास हैं। मुझे लगता है कि शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे से सहमत होंगे। इसके लिए थोड़ा समय लें। ढली बस स्टैंड का प्रपोजल ' in -principle' ठीक हो सकता है। लेकिन वहां पर भी इतनी जगह नहीं है जितना ट्रैफिक होता है। इसके दाएं-बाएं कहीं और सर्वे कर लिया जाए और सर्वे करने के बाद सैटल करके वहां पर बस अड्डा बनाना जरुरी है। क्योंकि ऊपरी क्षेत्र के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वहां पर यात्रियों को चाय पीने, बैठने और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक अच्छा और बड़ा बस अड्डा जो 5-6 जिलों को cater for कर सके, बनाया जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर मेरा विधान सभा क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसलिए सब इस पर अधिकार करते हैं। माननीय राकेश सिंघा जी

भी कुछ समय के लिए यहां से विधायक रहे हैं। शिमला को सुन्दर भी बनाना है और प्रदेश की वास्तविक रूप में यह राजधानी बन सके, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यहां पर स्केटिंग रिंक है। हिंदुस्तान में नैचुरल स्केटिंग रिंक थोड़े से थे, उनमें से शिमला एक था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां पर बहुत कम स्केटिंग हो पाती है। इसलिए यह विचार बहुत पहले से चल रहा है कि वहां पर मल्टी पर्पज़ स्टेडियम बने, जिसमें आईस स्केटिंग बारह महीने चल सके और अन्य एक्टिविटीज़ भी होती रहें ताकि शिमला एक वास्तविक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। वर्ष 2009 में जब मैं विधायक था और माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे, तब ऑकलैंड टनल बनी और पौने किलोमीटर का रास्ता बन कर तैयार हुआ था। लेकिन इसका प्रारंभ पहले हो गया था जब माननीय हरभजन सिंह भज्जी जी विधायक थे। यह टनल इसलिए ही बनाई गई थी कि ट्रैफिक वन साइडिड हो जाए क्योंकि वहां पर आर0के0एम0वी0 कॉलेज, ऑकलैंड हाउस स्कूल, चैप्सली स्कूल हैं।

29.08.2019/1155/RKS/DC-1

वहां पर ज्यादा भीड़ होने के कारण वाइडनिंग नहीं की जा सकती थी इसलिए वह टनल बनाई गई और टनल के साथ ही नये पुल का निर्माण भी किया गया। जो आई.जी.एम.सी. में ओ.पी.डी. बन रही है, वहां पर पार्किंग की आवश्यकता है। वहां से लिफ्ट द्वारा ऊपर जाने या लक्कड़ बाज़ार वाली सड़क को सीधा कनैक्ट करने का प्रावधान पहले ही स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट में किया गया है। लेकिन जो आई.जी.एम.सी. में ओ.पी.डी. ब्लॉक का कार्य चल रहा है, उसमें भी इन चीज़ों के लिए प्रावधान है। जो लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड है, वह बस स्टैंड नहीं है, वह सिर्फ़ बस स्टॉप है। बस स्टैंड 'आई.एस.बी.टी.' है और वहीं से बस ऑरिजिनेट होती है। लक्कड़ बाज़ार में सिर्फ़ बस रुकती है जहां से करसोग या अप्पर शिमला वाली सवारियां चढ़ती हैं। जो लक्कड़ बाज़ार बस स्टॉप से भराड़ी की तरफ जाने वाली लोकल बसिज़ हैं, उन्हें ऑकलैंड टनल के समीप खड़ा करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह इन सब चीजों पर विचार करके एक विस्तृत प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें तय होगा कि बस स्टैंड कहां होना चाहिए? जो ढली में हिमाचल पथ परिवहन

निगम की लैंड व वर्कशॉप है उसका मामला पिछले 15 वर्षों से निगम के पास विचाराधीन है। लेकिन सब चीज़ों पर विचार करने के उपरांत व धन की उपलब्धता के अनुसार ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बस स्टैंड कहां होना चाहिए, कहां बस स्टॉप होना चाहिए, कहां से बस ऑरिजिनेट होनी चाहिए, कहां खड़ी होनी चाहिए और कहां पार्किंग बननी चाहिए, ये सब चीजें स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट में तय है। मेरा मानना है कि यदि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करेंगे तो यह काम हो सकता है।

<u>प्रश्न संख्याः 1515</u>

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बन रही फिन्ना सिंह नहर पर दिनांक 31.03.2019 तक कुल 120.50 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना के लिए कुल 70.012 करोड़ रुपये का बज़ट प्रावधान है जिसमें से दिनांक 31.07.2019 तक 5.00 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। इसका कार्य अभी प्रगति पर है। इस परियोजना को धन उपलब्ध करवाने हेतु 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' (AIBP) कंपोनैंट के अंतर्गत प्रस्ताव दिनांक 3.07.2019 को जनवरी, 2020 की प्राथमिकता में भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण होना भारत सरकार से स्वीकृति व धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा। जो माननीय सदस्य ने 'ख' भाग में पूछा है, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि इस नहर के निर्माण हेतु कोई भी कामगार (टैक्निकल और नॉन-टैक्निकल) विभाग ने नहीं लगाया है क्योंकि निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा ठेकेदारों से करवाया जा रहा है।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो AIBP, Component के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस निर्माण कार्य में हो रहे डिल के कारण वहां सड़क भी बाधित हो रही है। सड़क के निर्माण कार्य हेतु सभी गांव वाले मेरे घर पहुंच जाते हैं। मेरा माननीय

मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उस सड़क को बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की जाए ताकि वह सड़क बाधित न हो।

29.08.2019/1200/बी0एस0/वाई0के0-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद, इन्होंने इस वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सबसे ज्यादा धनराशि स्वीकृत की है। आज तक अगर हम देखें कि वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि इस परियोजना के लिए मिलती रही; तो हम पाएंगे कि वर्ष 2010-11 में 10 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में 18.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2012-13 में 30.50 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 5.40 करोड़ रुपये, वर्ष 2014-15 में 16.85 करोड़ रुपये, वर्ष 2015-16 में 0.0 रुपये, वर्ष 2016-17 में 12.24 करोड़ रुपये वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 17 करोड़ रुपये और इस वित्तीय वर्ष में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 70.12 करोड़ रुपये इस प्रोजैक्ट के लिए स्वीकृत करवाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस परियोजना को हमने ए.आई.बी.पी. कंपोनेंट के तहत भारत सरकार को भेजा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर भी भारत सरकार को पत्र भेजा है। हम पूरी कोशिश में है कि यह बहुत बड़ी योजना है और इसका बहुत बड़ा लाभ विशेषकर नूरपुर क्षेत्र को मिलने वाला है। हम इस पर ज्यादा-से-ज्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नकाल समाप्त

अध्यक्ष : (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) जब नियम 101 के अंतर्गत चर्चा आएगी तो माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा।

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ।

अध्यक्ष : अब डा0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) को प्रकाशित प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

कृषि मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017

को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन ।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती आशा कुमारी सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं:-

i. समिति का **57वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **58वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

iii. समिति का **59वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

iv. समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 174वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

v. समिति का **61वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

vi. समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

vii. समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

viii. समिति का **64वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, , सभापति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2016-17) के ऑडिट पैरा संख्या: 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह, विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करता हूं कि" यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है"।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह माननीय सदन कार्यसलाहकार समिति द्वारा अपने अष्ट्म प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।"

तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन कार्यसलाहकार समिति द्वारा अपने अष्ट्म प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकार

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है। विधान सभा के माननीय सदस्यों को इसमें अपना संकल्प लाने की अनुमति मिलती है और नियम 101 के तहत एक संकल्प मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और सलाहकार समिति की बैठक में मैं और माननीय विधायक दल के नेता भी उपस्थित थे। हमने अनुरोध किया था कि जो चुने हुए विधायक होते हैं उनके सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि लोगों की एक धारणा होती है और जो भी विधायक चुन कर आता है उस पर कहीं-न-कहीं उंगली उठ जाती है, तो क्यों न ऐसी वेबसाइट विधान सभा में बनाई जाए ताकि प्रत्येक वर्ष जो भी विधायक चुनकर आता है उसको अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने की अनुमति मिल सके। उसकी कितनी संपत्ति है, उसने यदि कोई संपत्ति खरीदी है तो उसकी आय का क्या स्त्रोत है, उसकी देनदारियां कितनी हैं। इन सब के संदर्भ में मैंने नियम 101 के तहत एक संकल्प लाया था। पिछले कल माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में नहीं थे, हमारे माननीय 11 विधायकों ने भी इस बात का समर्थन किया है। हमने यह संकल्प

आपके कार्यालय में जमा करवा दिया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं।

29.08.2019/1205/DT/.../-1

जो इकोनोमिक टाइम्ज़ अखबार है उसमें लोक सभा के माननीय अध्यक्ष कोड ऑफ कंडक्ट, लेजिस्लेचर्ज़ व एम0पी0 के लिए लाने की बात कर रहे हैं। आपने हमारे निजी अधिकार को छीन लिया है। हम यह अनुरोध करना चाह रहे है कि अगर इस बार नहीं तो अगले विधान सभा सत्र में, सदन के सभी विधायकों की यह मन्शा है, प्रत्येक वर्ष आप इन्कम टैक्स देते हैं। पांच वर्ष के बाद भी आप चुनाव आयोग के पास शपथ पत्र देते है जिसमें आपने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया होता है। क्यों नहीं, विधान सभा के पटल से इस पारदर्शिता को आगे बढ़ाया जाए इस सदन के माध्यम से आपसे मेरा यह अनुरोध है कि अगले सत्र में इसको किया जाए।

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,बहुत महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख यहां माननीय सदस्य ने किया है। नियम-101 के तहत इन्होंने संकल्प दिया था कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की एथिक्स कमेटी बनी हैं, इस प्रकार के विषय एथिक्स कमेटी में ले जाएं। माननीय अध्यक्ष जी स्वयं जो एजेंडे में लाए और एथिक्स कमेटी रिर्पोट जो है वह विधान सभा में स्वीकार हो जाती है तो कोई विषय उनके अनुसार हो सकता है। वेबसाइट में ले जाए यह कही ओर ले जाए लेकिन सदन में मैं समझता हूं आपने अनुमति दी है यह उचित है आपका अधिकार है लेकिन इस प्रकार के जो विषय है इस संबंध जब कमेटी बनी है तो कमेटी के द्वारा ही आने चाहिए। दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि चुने हुए प्रतिनिधि चाहे विधायक है चाहे सांसद है केवल मात्र वे ही ऐसे व्यक्ति है जिनको हर पांच साल में पूरी की पूरी अपनी आय व्यय का ब्यौरा शपथ पत्र के सहित सार्वजनिक रूप

में देना पड़ता है जो चुनाव आयोग को हमेशा जाता है और चुनाव आयोग उसको पब्लिक डोमेन के लिए अपनी वेबसाईट में डालता है और कोई भी उसको एक दम देख सकता है। उसके बाद भी अगर एथिक्स कमेटी चाहे क्योंकि इसके अलावा हर वर्ष प्रत्येक विधायक को प्रत्येक सांसद को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। बाकी लोग अगर देते हैं तो वह ऐसे नहीं जाती अधिकारी देते हैं वह ऑफिस में देते है वे सार्वजानिक नहीं होती है। एथिक्स कमेटी अगर डिसाइड करती है तो आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते है। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि एथिक्स कमेटी में एजेंडे के रूप में लाएं उसके हिसाब से करेंगें तो अगली बार विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्षः ...(व्यवधान)... यह चर्चा का विषय नहीं है। क्या हो गया ? ...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूं, आप बैठिए। मैं बोल रहा हूं। आपने अपना विषय रख दिया है। यह चर्चा का विषय नही है, प्लीज एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। इसके उपर आप सुनेंगे नहीं तो अपडेट कैसे होगा? माननीय सदस्य, सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने नियम-101 के अन्तर्गत यह विषय प्रस्तुत किया था। यह पहला अवसर है कि नियम -101 के अर्न्तगत 11 मामले माननीय विधायकों ने प्रस्तुत किए थे और 11 में से दो माननीय सदस्यों के विषय ऐसे लगते थे कि वे 101 में नहीं आने चाहिए। हमने उनसे आग्रह किया कि आपका विषय नियम 62 और 130 में लगा सकते हैं। इस विषय को अगले दिन एथिक्स कमेटी के समक्ष रखा गया और

उस माननीय समिति में अनेक सदस्य मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात विस्तार से वहां पर रखी कि हम लोग पांच वर्ष के बाद जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो एक एफिडेविट फाइल करते हैं और हर साल हम इन्कम टैक्स की रिटर्न भी भरते हैं। इस आधार पर एथिक्स कमेटी ने इसे चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं माना है। तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र जी ने हमें पुनः एक पत्र आज दिया है और इन्होंने आग्रह किया है कि अगले सत्र

के अन्दर इसे चर्चा के लिए लाया जाए। अगले सत्र में लाने के लिए इस पर विचार करेंगे, केवल इतनी ही बात इसमें है और अधिक चर्चा की गुंजाइश शायद इसमें नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी है और इसके बाद कुछ कहना उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के जीवन में हमारी आय के स्त्रोत, हमारे खर्चे के माध्यम व अन्य ब्यौरे, यह सब सार्वजनिक होना चाहिए। इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विस्तार से आपनी बात कही है। विधायक को पांच साल के बाद जब चुनाव लड़ना होता है तब अपना पूरा ब्यौरा, आय के स्त्रोत आदि का डिस्क्लोज़र करना होता है। जिस दिन हमारा नोमिनेशन फाइल होता है उस दिन सभी समाचार पत्रों में, मीडिया में सबसे बड़ी खबर यही होती है कि पांच साल पहले की आय इतनी थी और अब इतनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल भी इस बात का विरोद्ध नहीं कर रहा हूं और विरोद्ध करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के बारे में कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश की जाती है, ऐसे में हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आय के स्त्रोत, हमारा खर्चा व अन्य बातों को सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर किया जाए। उस दृष्टि से आज से पहले भी यह हुआ है कि माननीय सदस्यगण अपने मुख्य मंत्री और विधान सभा को इस प्रकार का ब्यौरा हर वर्ष लिख कर देते रहे हैं। माननीय धूमल जी की सरकार में हम लोगों ने भी इस प्रकार का ब्यौरा लिख कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था अनुसार, जैसे इस बात को लेकर कह रहे थे कि 21 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने उसमें साइन किए हैं, 11 पक्ष में हैं और 10 विपक्ष में बल्कि होना तो यह चाहिए था कि 21 के 21 सदस्य इस पर सहमत होते। लेकिन आपने अपनी ही पार्टी में बहुमत हासिल कर लिया यह एक बहुत बड़ी बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन इतना ही है कि एथिक्स कमेटी ने इसे एग्ज़ामिन कर लिया है और इस पर चर्चा भी कर ली है। उसके बाद पाया गया और आपने

इस सारे विषय को लेकर हमारे पास जो वर्तमान परिस्थिती में व्यवस्थाएं मौजूद हैं, ऐसे में इस से ज्यादा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसमें व्यवस्था दे दी है और आपका जो सुझाव है कि आने वाले समय में इस पर पुनः विचार करने की सम्भावना है तो उन बातों को लेकर खुले मन से सोचेंगे, विचार करेंगे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के बारे में पारदर्शिता होनी आवश्यक है और यह होनी भी चाहिए और हमारे व्यवहार में यह दिखाई भी देनी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने विषय को पूर्ण कर दिया है और हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं तो पारदर्शिता रहनी ही चाहिए। जैसे अखबार का उल्लेख किया गया है तो दिल्ली में कल मैं स्वयं उस बैठक में था जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया की देश की विभिन्न विधान सभाओं और विधान परिषद् के 30 अध्यक्ष थे और हम ही लोगों ने सुझाव रखा है परन्तु जो नियमों की परिधि में होता है वह मान्य ही होता है।

29/08/2019/1215/RG/YK/1

<u>विधायी कार्य</u>

<u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई

अब माननीय मुख्य मंत्री 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)' को पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)' पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)' पर विचार किया जाए। अब श्री जगत सिंह नेगी जी इस पर चर्चा करेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक यहां लाया गया है, इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है और यह चूक इनके समय

में वर्ष 2011 में हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी चूक हुई है कि वर्ष 2011 से लेकर आज तक जितने भी गैर-कानूनी काम इन्होंने किए हैं, ये उनको कानूनी रूप देना चाहते हैं। वैसे जो भी विधेयक होता है, प्रिंसीपली यह होता है कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट नहीं किया जाता है, वह प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन यहां चूक हुई है। इसलिए इसको सुधारना भी जरूरी है। ठीक है कि आपने यहां बिल लाया है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने और जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, यह चूक की है, उनके ऊपर कुछ-न-कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप फांसी देने के बाद कहें कि यह कानून तो उस समय नहीं था, आज हम फांसी देने के दस साल बाद कहेंगे कि हम उसको सारा-का-सारा कानूनन मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। सैन्स तो वही है जो बात श्री जगत सिंह नेगी जी ने यहां रखी है। लेकिन उस सैन्स के साथ मेरे बहुत सीरियस डॉऊट्स हैं। यह लैप्स तो आठ साल का है, मतलब एक सरकार बीच में चली गई, जो इन्होंने यहां बिल्कुल सही बात रखी। कम-से-कम मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई भी ऐसा कानून जो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा सकता है। प्रोसपेक्टिवली तो कानून लागू किया जा सकता है। इसीलिए कानूनी दृष्टिकोण से मेरा मानना यह है, आप विधि विभाग में उसकी कन्सलटेशन कर सकते हैं, इसको विधि विभाग ने बनाया और पिछले कल कहा गया है कि बहुत सीरियस तरीके से विधि विभाग कानून इनेक्ट करता है। लेकिन मुझे सीरियस डॉऊट है कि आज से पहले देश या इस राज्य में कोई ऐसा कानून हो जो स्ट्रेट आठ साल पहले से उसको अनुमति दें। उसमें कई जटिलताएं आएंगी, आप उसको समझ लें। यह नहीं है कि जहां पहले ही अपिलेट कोर्ट में चला गया है, वह किसी का भी राईट है

29/08/2019/1220/MS/AG/1

जो उससे प्रभावित हो रहा है वह हायर कोर्ट में भी उसके ख़िलाफ जा सकता है, तो उस संदर्भ में क्या व्यवस्था होगी? इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर इसको undo करना है तो आपको इस विधेयक को नये सिरे से विधान सभा में पेश करना होगा। इसको बगैर नये सिरे से पेश किए हुए कई कानूनी जटिलताएं आएंगी और उन कानूनी जटिलताओं का

नुकसान यह होगा कि जो भी याचिकाकर्त्ता है he will suffer tremendously. कानून का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज के कार्य आपको within a certain period of time करने हैं, उसका उद्देश्य करैक्ट है। लेकिन जो अभी तक इसमें त्रुटियां रह गई हैं, उस पर मंत्री महोदय कृपया विचार करे और एक ऐसी व्यवस्था पैदा न करे जिससे नई जटिलताएं क्रिएट हों। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। यह ठीक है कि इस एक्ट के माध्यम से जितनी भी इसैंशियल सर्विसिज हैं उनको आप टाइम-बाउण्ड करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि एक्ट की नोटिफिकेशन हुई नहीं और राज्य सूचना आयोग आपने एप्वायंट कर दिया। जब एक्ट एन्फोर्स ही नहीं हुआ था और उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं हुई थी तो मेरा यह मानना है कि आप राज्य सूचना आयोग को एप्वायंट नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने कर दिया और यही ब्यूरोक्रेसी है। जो एक्ट वर्ष 2011 में आया, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। यह एक्ट पब्लिक युटिलिटी से संबंधित था लेकिन हमारी सरकार भी चली गई। आपने राज्य सूचना आयोग एप्वायंट किया और उसने कुछ नोटिंग्स कीं और कुछ व्यवस्थाएं दीं। जब आप इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि इस पर पूर्णतया विचार-विमर्श करके कुछ और इसैंशियल सर्विसिज इसके अंतर्गत लाते। जैसे शहरी विकास मंत्री जी ने भी बोला है कि हम 30 दिन के अन्दर जो एम0सी0 या टी0सी0पी0 में भवनों के नक्शे बनते हैं उनको भी इसके अंदर लाएंगे। इसको अगर आप सलैक्ट कमेटी के पास भेज देते हैं और सलैक्ट कमेटी इसकी रिपोर्ट आने वाले, (..व्यवधान..) इसमें मैं एक चीज और बता दूं, कल आप बोल रहे थे कि संशोधन नहीं दिए। इसमें संशोधन का मतलब नहीं है। हम जो विधान सभा के सदस्य हैं हम लॉ मेकर्ज हैं। अगर हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे तो कहीं-न-कहीं से कोई नया विचार आएगा। एक तो यह एक्ट लागू ही नहीं हुआ और आपने उसके आधार पर सबकुछ करना भी शुरू कर दिया। अगर आप मुख्य मंत्री महोदय इसको सलैक्ट कमेटी में भेजते तो जो त्रुटियां/गल्तियां हुई

हैं उनको ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि यह एक्ट स्टेट में लागू ही नहीं हो सकता था जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती। धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। जब कमी छूट जाती है और कमी छूटने के बाद जब लगता है कि यह कमी छूट गई और पहले यह हमारे ध्यान में नहीं थी लेकिन अब ध्यान में आ गई है तथा ध्यान में आने के बाद तुरन्त उसका सुधार करना, उसी दृष्टि से यह बिल इस माननीय सदन में लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 को 24 दिसम्बर, 2011 को अधिसूचित किया गया था और इसके अंतर्गत सैक्शन 1(3) में राज्य सरकार को अधिसूचना जारी कर ऐसी तारीख़ को प्रवृत्त किया जाना था, जिससे अधिनियम लागू होना था लेकिन वह नोटिफिकेशन नहीं हो पाई। जब यह नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा सकी और वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, भले ही वर्ष 2011 में यह बिल हमारी सरकार के समय में लाया गया था लेकिन उसके बाद आपको यह भी मानकर चलना पड़ेगा,

29.08.2019/1225/जेके/एजी/1

भले ही हमारी सरकार के दौरान यह बिल वर्ष 2011 में लाया गया था, लेकिन उसके बाद भी आपको मान कर चलना पड़ेगा कि आपकी सरकार दिसम्बर, 2012 से वर्ष 2017 तक रही, अगर हमारी जिम्मेदारी थी तो आप लोग भी इस बात का अध्ययन कर सकते थे। हमारा वक्त वर्ष 2011 से दिसम्बर, 2012 तक का ही था, केवल एक साल का था। Government is in continuity. कन्सैप्ट है कि अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई तो वह आपके समय में ठीक होनी चाहिए थी। पांच वर्ष का समय बहुत ज्यादा होता है। पूरे पांच वर्ष आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह बात वहां भी स्वीकार करनी चाहिए और यहां भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। यह गलती हम आप लोगों पर नहीं थोप रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे गलती हुई आपने सुधार नहीं किया। उस वक्त सुधार करने की गुंजाइश आपके पास थी। इसलिए कमी यहां भी और कमी वहां पर भी रह गई। जब हमारे पास फाइल आई तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी गलती छूट गई और इसे तुरन्त ठीक करना चाहिए। हमने तुरन्त उसी वक्त अधिकारियों को कह दिया कि इसी सत्र में इस गलती को सुधारने के लिए माननीय सदन में बिल लाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के अन्तर्गत कई सेवाओं को अधिसूचित किया गया, वे आदेश भी पारित

किए गए। इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए कार्यों को वैलिडेट करना बहुत आवश्यक है, इस दृष्टि से यह विधेयक माननीय सदन में लाया गया। जहां तक श्री जगत सिंह जी, श्री राकेश सिंघा जी और श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा, आप तीनों की एक ही मंशा है। विशेषतौर पर आप कह रहे हैं कि इसको सलैक्ट कमेटी को भेजो, इसमें फिर विलम्ब होगा। मैं समझता हूं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कमी छूट गई और सुधार करने का जो अवसर हमने तलाशा है, उस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें हमें सुधार करना चाहिए। जहां तक स्टेट इंफोर्मेशन कमिशन की बात है तो यह आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अन्तर्गत पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अन्तर्गत नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि इन सारे विषयों पर जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी बात की और जो लैप्स हुई है यह नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो यह मानवीय त्रुटि है, इसको आज के दिन ठीक करना चाहिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गलती हुई है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना। इनकी सरकार ने गलती की थी। हमने पहले भी कहा कि भाजपा की सरकारें बहुत जल्दबाजी में रहती हैं और आधे-अधूरे काम करते हैं। ....(व्यवधान).... माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी बात भी सुनेंगे। आप इतनी बड़ी लैप्स कर देते हैं और फिर आप हमें छाती दिखाते हैं। आपने नोटिफाई नहीं किया और सारे हिमाचल प्रदेश में बोर्ड लगा दिए। ....(व्यवधान).... जब आप कोई चीज़ ले कर आ रहे हैं। ....(व्यवधान).... आप उसको पूरा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को लगता है कि ऊंचा बोल कर हमें ये दबा देंगे। जब आप इसको ले कर आए, उस वक्त प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी। इस बात को आप लोगों ने बहुत प्रचारित किया और पूरे हिमाचल प्रदेश में बोर्ड लगा दिए कि इतने दिन में पटवारी की रिपोर्ट, इतने दिन में कानूनगो की रिपोर्ट, इतने दिन में तहसीलदार की रिपोर्ट आएगी और इतने दिन में काम होगा। इन्होंने सब कुछ किया लेकिन नोटिफाई नहीं किया। आप अपना पाप हम पर मत डालो हम तो केवल आप लोगों से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि हमें इसमें क्यों लपेट रहे हो?

आपने जो गलत किया था, उसको आप रैक्टिफाई कर रहे हैं और आप उसको करो, लेकिन आप हमें इसमें मत लपेटो।

29.08.2019/1230/SS-DC/1

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता बड़ी स्ट्रेंज आर्ग्युमैंट्स दे रहे हैं। सरकारें किसी भी पार्टी की हों लेकिन सरकार सरकार होती है। सरकार कंटीन्यूटी में होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान/चर्चा में कहा है कि यह उस वक्त लैप्स हुआ है क्योंकि इसमें तारीख तय होनी चाहिए कि कब से यह लागू होगा। उस वक्त 2011 में सितम्बर माह के बीच यह ऐक्ट बना, उसके बाद एक साल और सरकार रही। फिर पांच साल तक सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में रही। उस सारे पीरियड में इस ऐक्ट के अंतर्गत काम होते रहे हैं और जो सूचना आयोग है वह उसमें द्वितीय अपीलीय अदालत है। उन्होंने भी इसके अंतर्गत ऐक्शन लिये हैं। मतलब यह है कि सूचना आयोग ने भी नहीं देखा और पांच साल तक इनकी सरकार ने भी नहीं देखा। जिस वक्त यह लागू हुआ उस वक्त यह डेट तय नहीं हुई। जब लैप्स हो गया तो यह पाप मढ़ना या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, क्या यह लोकतंत्र में उचित है? ...(व्यवधान)... अगर हमने एक साल का पाप किया है तो इन्होंने (विपक्ष) पांच साल का पाप किया है। पांच साल तक ये आंखें बंद करके सरकार चलाते रहे। इन्होंने तब कुछ नहीं देखा। क्या ये सिर्फ आंख बंद करके ही सरकार चलाते रहे हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): आपकी सरकार ने नोटिफाई करना था। आपने एक साल तक कुछ नहीं किया।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं किया। उसके बाद आप पांच साल तक सोये रहे। जब आपकी सरकार थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? आप कमाल करते हैं।

अध्यक्ष: श्री राकेश सिंघा जी, अपनी बात रखेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): अध्यक्ष महोदय, मैंने बुनियादी प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी से किया है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिम्पल एक बात कह रहा हूं कि जो हो गया सो हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसकी इम्प्लीकेशन्ज़ को अवॉयड करने के लिए, जो और जटिलता में जा सकता है, आप इस कानून को नये सिरे से पेश कर

लो। जो ऑलरेडी हो गया, सो हो गया, there is no question. आप रैट्रोस्पैक्टिवली इसको क्यों लागू करना चाहते हैं? जब आप रैट्रोस्पैक्टिवली करेंगे तो आप बैड प्रैसीडेंट ले करेंगे। वैसे तो कोई भी कानून रैट्रोस्पैक्टिवली लागू नहीं होता है। वह प्रोस्पैक्टिवली लागू होता है। नयी कॉम्पलीकेशन्ज़ आ जायेंगी इसलिए मेरी आपसे विनती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय को गम्भीरता से लें। मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं कि किसकी गलती है। गलती हुई है और परे को ज्यादा हुई है। They should be taken to task. You can't do such a thing. कोई भी कानून आयेगा तो वह after the gazette notification ही लागू होगा। उससे पहले लागू नहीं हो सकता।

अध्यक्षः अंतिम सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलती को माना, चाहे वह हमारे समय हुई या इनके समय हुई। मुख्य मंत्री जी की मंशा पर कोई शक नहीं है। इसमें कोई स्कोर सैटल करने की बात नहीं है। पब्लिक सर्विस गारंटी ऐक्ट आया है बहुत अच्छी बात है। आप लाये हैं और सुधार किया है। सुधार होता भी रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने इसे खुद भी स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा यह मानना है कि जब हम ऐक्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो आपकी बात से हमें एक इंफोरमेशन चाहिए कि जो आप लोक सेवा गारंटी ऐक्ट लाए हैं क्या ऐक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसमें भी इंफोरमेशन कमीशन लगाया जायेगा? स्टेट इंफोरमेशन कमीशन तो आर0टी0आई0 के माध्यम से आपने स्टेटमैंट दिया है। मेरा यह मानना है कि हमारे ऐक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि पब्लिक सर्विस गारंटी के लिए हम अपना इंफोरमेशन कमीशन भी लगायेंगे। क्या ऐसा प्रोविजन इस ऐक्ट में है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गलती हुई है और गलती के बाद उसमें सुधार को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि गलती हुई है। हमसे गलती हुई है हम सुधार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... हम कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हम सुधार कर रहे हैं।

लेकिन यह बात मानकर भी चलना चाहिए कि गलती आपसे भी हुई है, आप सुधार नहीं कर सके। ...(व्यवधान)... यह तो सच्चाई है। अब इस सारी चीज़ से हट कर चल रहे हैं। ...(व्यवधान)... इसलिए हमने कहा कि हमसे गलती हुई, हम सुधार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय के लिए मेरा सुझाव है कि अगर आपसे (कांग्रेस पार्टी से) भी गलती हो, उसमें अगर सुधार की गुंजाइश हो, तो करते रहिए। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 'the validation Acts are enacted by the Legislator to validate the action already done' सिंघा जी ने जो बात कही, उसके लिए यह जवाब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर.टी.आई. एक्ट, 2005 के अधीन गठिन स्टेट इन्फोर्मेशन कमिशन है, केवल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 की सैकिंड अपीलेट अथॉरिटी है। ऐसी परिस्थिति में, मैं समझता हूं कि जब हमने खुले मन से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे से कमी रह गई थी, पूर्व सरकार के दौरान इसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी, ताकि यह समय पर प्रभावी ढंग से लागू हो जाता। उस कमी को ठीक करने के लिए बहुत समय निकल गया है, अब उसमें बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमको आगे बढ़ना चाहिए और इस बिल को पारित करना चाहिए।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 2019) (2019 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खण्ड 2,3,6 व 7 पर माननीय सदस्य श्री राम लाल जी ने अमैंडमैंट्स दी हैं। क्या माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं।

श्री राम लाल ठाकुरः आप इन्हें प्रस्तुत हुआ समझें।

अध्यक्षः इसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं जो इस प्रकार है :-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub- clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	Shri Ram Lal Thakur	1	2	-	3	Amendment of section 6 **shall not be omitted.**
		1	3	(a)	3	Amendment of section 9 **shall not be inserted.**
		2	6	-	3	Amendment of section 27 **shall not be substituted.**
		2	7	a.	3 &4	Amendment of section 33 **shall not be substituted.**

श्री राम लाल ठाकुर (**श्री नैना देवीजी**)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में जो विधेयक संख्यांक-11 पर चर्चा चली है, मैं उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

29.8.2019/1240/av/hk/1

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में रज्जू मार्ग आए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। हमारा एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां पर जितने ज्यादा रज्जू मार्ग बनेंगे उससे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के साथ-साथ लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन मेरी दो-तीन शंकाएं हैं जिनके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीज़न्स में खुद ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और इसमें लोगों के मकान व बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं। उसमें सैक्शन 6 के अधीन पहले यह प्रावधान है कि बिल्डिंग और रज्जू मार्ग के बीच में 10 मीटर का गैप होना चाहिए। आपकी जो यह प्रपोज़ल है इसमें आपने इस 10 मीटर के गैप की कंडिशन को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। मैं यह

पूछना चाहता हूं कि क्या आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को लिटिगेशन में डालना चाहते हैं? इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिनके मकान व बिल्डिंग्ज बनी हैं सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए रज्जू मार्ग भी बनें। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कहा गया कि सैक्शन 6 के तहत सेफ्टी के लिए रखे गये 10 मीटर के प्रावधान को हटा देंगे लेकिन ऐसा करने से मुझे लगता है कि हम सेफ्टी की भी अवहेलना कर रहे हैं। दूसरे मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर दस मीटर वाली कंडिशन हटा दी जाती है तो उसके बाद क्या परिस्थिति पैदा होगी; सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त सैक्शन 9 के अधीन अब रेट के बारे में निर्णय लेना कम्पनी पर छोड़ दिया है कि आपने जो रेट लेने हैं; आप लेते रहो। ये ज्यादातर रज्जू मार्ग बी0ओ0टी0 बेस पर बनेंगे और इसमें प्राइवेट पार्टीज आयेंगी तथा उनको इनमें काम करना हैं। पहले यह केवल पेसेंजर के लिए था मगर अब आपने यह संशोधन भी कर दिया है कि उसमें एनिमल और सामान भी जा सकता है। अब एनिमल कितने जायेंगे इसके बारे में तो रज्जू मार्ग वाले बतायेंगे। लेकिन यदि हम सीधे तौर पर कह दें कि इसमें एनिमल भी जायेंगे तो क्या इसमें बैल, गाय और भैंस भी जायेगी? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए और प्राइवेट पार्टीज को इसमें इतनी छूट न दी जाए कि वह अपनी मर्जी से रेट फिक्स कर लें। हिमाचल प्रदेश में कई रज्जू मार्ग बने हैं जिसमें मनाली का जो सोलंग नाला का रज्जू मार्ग है उसकी दूरी केवल 500 मीटर हैं और उसके लिए 700 रुपये की राशि ली जाती है। क्या यह 700 रुपये की टिकट जस्टिफाइड है और ऐसा करके क्या हमने उससे प्राइवेट लोगों की जेबें भरनी है? इसमें लोकल लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि वहां जो टूरिस्ट आ रहा है उनकी जेबों पर कैंची मारी जाए। इसी तरह से जाख़ू (शिमला) के लिए 500 रुपये की टिकट है। हमारे नैना देवीजी में रज्जू मार्ग को बने हुए 30 साल का समय हो गया है मगर वहां भी मर्जी से पैसे लिए जाते हैं। मेले के दौरान तो वहां 700-800 रुपये की टिकट दी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसके ऊपर एक कंट्रोल रखा जाए। आपने इस तरह के प्रोविज़न करके प्राइवेट पार्टीज को खुला छोड़ दिया है कि वे रेट भी खुद तय करेंगे। वहां पर सरकार की

एक कमेटी होनी चाहिए और रेट के बारे में वह कमेटी तय करें कि हिमाचल प्रदेश में रज्जू मार्ग से टूरिस्ट या लोकल लोग जायेंगे तो उनके लिए इस-इस तरह के रेट होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने यहां पर जो दो-तीन शंकाएं जाहिर की है इसको कृपया दोबारा से देख लें। यह अभी पास तो होना ही है क्योंकि मेज्योरिटी तो मेज्योरिटी होती है।

29.08.2019/1245/टी.सी.वी./एच.के.-1

लेकिन इस बिल को पास करने के लिए हम भी इंकार नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है। यदि सैक्शन 27, 33 और 35 को भी मेन एक्ट से बाहर कर दिया जाये तो इसमें रह क्या जायेगा? इसलिए ये जो दो-तीन बिन्दु हैं, इनके आधार पर हमें लगा कि आगे इनको लेकर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आज ही अमेंडमैंट हो रही है, इसमें पहले भी अमेंडमैंट हुई है और उसमें भी गलत हुआ है। सरकार को यह भी विचार करना चाहिए कि यदि पहले गलत हुआ है तो उसको भी ठीक किया जाये। हम हिमाचल प्रदेश में रज्जू मार्ग के लिए लोगों को बाहर से प्रेरित करें, लेकिन वे यहां लूटमार करने के लिए न आयें। यह न हो कि सारे अधिकार उनको दे दिये और आपके हाथ में कुछ भी न रहे। जब आप एक्ट में ही यह प्रोविजन कर देंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी हम उनको नहीं पूछ पायेंगे। उसके बाद वे जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लग सकती। इसलिए मैंने इसके बारे में यहां पर अपनी शंकायें ज़ाहिर की है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए यह जो 10 मीटर की दूरी निर्धारित की हुई थी, जिसको आप खत्म कर रहे हैं, यह लोगों के हक में नहीं है, यह लोगों के विरूद्ध हैं। इसके लिए आप कोई और तरीका निकाल लें, लेकिन जिन लोगों के मकान बनें हैं, उनके ऊपर से आप रज्जू मार्ग बना दें और जो मालिक है, उसको पूछा भी न जाये तो यह न्याय नहीं होगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि मैंने यहां पर जिन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया है, कृपया उनको ध्यान में रखें। यदि हां की, हां में ही रहनी है, तो हमारी जो ड्यूटी है, वह हमने पूरी कर दी है और इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। टूरिज्म सैक्टर से जुड़े होने के नाते मैं मानता हूं कि इन रज्जू मार्गों का बनना कितना जरूरी है? मैं आपकी कुछेक बातों का समर्थन करता हूं और इनमें तेजी लाई जानी चाहिए। आज बहुत ज्यादा रज्जू मार्ग घोषित हो गये हैं। हम कई वर्षों से बिजली महादेव और धर्मशाला रोपवे का नाम सुन रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यह जरूरी है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और इसका सरलीकरण होना चाहिए। एक बात को लेकर मेरी आशंकाएं बहुत समय से हैं। जब 2015 में सैक्शन 18ए को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सरकार के नियंत्रण में प्रमोटर्ज़ को शामिल करके एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी और उसने डिसाइड करना था कि मैक्सिमम किराया क्या होगा? आज उस पूरी-की-पूरी सैक्शन को हटाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी टूरिज्म विभाग में बहुत बड़ा घोटाला है। आपने कुछ कदम उठाये हैं। मेरा निवेदन है कि इसको भी उस नज़र से देखिये। माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने सोलंग नाला के बारे में ठीक कहा है। औली में 11 किलोमीटर का रोपवे बना हुआ है और शायद उसका किराया 300-400 रुपये हैं। लेकिन सोलंग नाला में 7-8 किलोमीटर रोपवे का किराया 700 रुपये हैं। मैं खुद वहां गैस्टों को लेकर गया था, परन्तु मेरी हिम्मत उसमें जाने की नहीं हुई। यदि उसमें 5-7 लोगों को जाना हो तो हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक तो उसने सोलंग नाला की सलोप पर कब्जा कर रखा है, वह भी एक बड़ी मिलीभगत थी। किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह आदमी मैनेज कर लेता है। ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए आपने टूरिज्म विभाग में कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन यह कदम भी बहुत जरूरी है। इससे पहले की इस सैक्शन को ओमिट किया जाये, इस लूट को रोका जाना चाहिए।

29-08-2019/1250/NS/DC/1

अध्यक्षः अब माननीय राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस माननीय सदन में ऐसी व्याख्या करूं तो मैं गलत नहीं हूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि यह आपकी अध्यक्षता में या सरकार की अध्यक्षता में हो रहा है। हम यहां पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले कल एक झटके में 20 कानून और आज हमने पिछले आठ साल से एक नए कानून के बारे में बिल पास किया है। मैं विधि विभाग को बधाई देना चाहता हूं। लीगल बात तय करे, यह तो ठीक है। लेकिन ये साइंटिस्ट कब से बन गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, जो रिपोर्ट भूवैज्ञानिक को देनी है, उसे विधि विभाग दे रहा है। जब हम लोज़िक ले रहे हैं कि 10 मीटर वाला क्यों वेव करना है? इसका जो तर्क दिया जा रहा है that is very interesting. यह तर्क दिया जा रहा है, आप इसको पढ़िए, मैंने भी इसको ध्यान से पढ़ा है The present provision of minimum headway ये सारे में होते हैं और आपको रखने पड़ेंगे। आप उसको हटा नहीं सकते हैं of 10 meters between the roof top of the houses or buildings and the base of the cabin as per section 6 of the Act is creating technical problems यह पता नहीं नोटों की प्रॉब्लम है या टैक्निकल है in designing the ropeways from seismic and wind velocity point of view and execution of the site. जो भूकंप आना है तो आप मुझे बताएं कि हाईट डिफरेंस कैसे मैटर करेगा? ये 10 मीटर या 30 मीटर हो। It is not going to make any difference. जिस दिन भूकंप आना है, पता नहीं कितनी बिल्डिंग्ज़ साफ हो जाएंगी। यह रोपवे बचेगा या नहीं, चाहे ये 10 मीटर को हो या 30 मीटर का हो। This is no concern of the Law Department to decide its seismic impact. इसमें हिडन एजैंडा है। यह किसी का कोई लाडला है और उसकी मदद करनी है। मैं, माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी से बिल्कुल सहमत हूं कि that you will have to go into this aspect? कौन-सा ऐस्पेक्ट है? हमारे देश में यह पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप का जो सिस्टम चला हुआ है और जिसमें सरकार का भी अपना शेयर है। Public means the Government has the authority और जिस दिन ये पब्लिक ऑथारिटी सरकार की नहीं रहेगी तब तो प्राईवेट हो गया। फिर आप क्यों पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप कह रहे हैं? If it is to the public private then the State has to step in to regulate. जो मैंने पिछले कल भी कहा है। माननीय भारद्वाज जी मेरी बात का बुरा मानेंगे और कहेंगे कि आप इसमें अपना विचार डाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा विचार हो या न हो in the interest of the people of Himachal Pradesh, the State

will have to regulate और इसलिए जो प्रावधान इसमें पहले शामिल किया गया था, मैं उसको पढ़ करके इस माननीय सदन में इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष वाले भी मदद करेंगे। वे लाडले लोगों को बाहर करने में मदद करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें बात करके इस कलॉज को इनसर्ट रखेंगे और 18-A को बचा कर रखेंगे। अब 18-A क्या बोलता है (1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, एक्सपर्ट कमेटी को तो मान लो। आप क्यों एक्सपर्ट कमेटी से घबरा रहे हैं? Expert Committee is Expert Committee or Expert Committee will go into various facts and figures and तब अपना डिसिजन लेंगे। लेकिन हमने एक्सपर्ट कमेटी को भी खत्म कर दिया और खुली इजाजत दे दी कि जो भी आएगा और अपनी मनमर्ज़ी के जो रेट तय करेगा, उस पर हम मोहर लगाएंगे। ऐसी इजाजत किसी को मत दो। सरकार की ऑथोरिटी रखो, चाहे आपकी सरकार हो या किसी और की सरकार हो। जिस दिन आप सरकार की लगाम को छोड़ देंगे तो यह प्रदेश नहीं बचेगा, यह बिक जाएगा। इसलिए सरकार की ऑथोरिटी को कमज़ोर मत करो। इसलिए जो मंशा 18-A में थी (1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rate for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode. This is not Built Operate and own but it is Built Operate and Transfer (BOT) to the Government.

29.08.2019/1255/RKS/YK-1

वह 10 साल होगा, 15 साल होगा या 30 साल होगा, जो भी आप निर्धारित करेंगे उसमें it will be Built Operate and Transfer (BOT)to the Government. वह पीरियड है। मेरा मानना है कि जो 18(ए) का पिछला प्रावधान था वह बिल्कुल सही था। इसमें ढील बरतने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ढील बरती गई तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि under the table कुछ चहेतों के साथ डील हो रही है। यह प्रदेश सबका है और इसे बचाने की कमांड जनता ने आपको दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने माननीय सदन में अपनी बात रखी है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है, मैं उसे इस बिल के माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विधेयक को पी.पी.पी. मोड, बी.ओ.टी. मोड या किसी भी मोड पर ला रहे हों लेकिन जो एरियल डिस्टैंस होता है वह हमेशा कम होता है। जैसा माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी ने '10 मीटर' की बात कही कि यह घर की छत से ऊपर होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस बिल के माध्यम से प्राइवेट लोगों को खुली छूट देने की व्यवस्था की जा रही है। सन् 1968 में डॉ. वाई.एस.परमार ने इस प्रकार की सोच लाकर यह बिल लाया था। उस समय स्पैन चलते थे, छोटे-छोटे रज्जू मार्ग होते थे लेकिन जो बिल आज लाया जा रहा है उसमें प्राइवेट पार्टी को खुल छूट देने की व्यवस्था की गई है। जैसा माननीय सिंघा जी ने कहा कि जो पार्टी आएगी, उसकी जो इच्छा होगी, जो वह चाहेगी, वैसा वह करेगी। वैसे तो उस एरियल में सरकार की कोई रोक नहीं होती लेकिन इस विधेयक के माध्यम से खुली छूट देने की बात की गई है। माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने ठीक कहा कि पहले इस एक्ट के माध्यम से यह फिक्स था कि पैसेंजर से इतने पैसे लिए जाएंगे लेकिन अब जो प्रमोटर आएगा, वह अपने तरीके से फीस निर्धारित करेगा। चाहे वह प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये हो या पांच हजार रुपये, यह उसकी इच्छा पर निर्भर होगा परंतु इन चीज़ों को चैक करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं रखा गया है। जो भी इन्वैस्टर यहां आना चाह रहा है उसे खुली छूट दी जा रही है। आप खुली छूट दे सकते हैं परंतु रेगुलेटर रखना जरूरी है। यदि कल को कोई शिकायत आती है तो उस समय आप क्या करेंगे? जिसने पी.पी.पी. मोड या बी.ओ.टी. मोड पर अपना प्रोजैक्ट बनाया है, उसकी फीस क्या होगी? इसके लिए आप को रेगुलेटर रखना चाहिए। प्रोजैक्ट बनाने में इतना ख़र्च हुआ, इतना प्रोफिट होना चाहिए, इतना लोन लिया है, उस हिसाब से वह अपना रेट फिक्स करेगा। उसके दिल में जो आएगा वह, वही करेगा। आपको रेगुलेटर रखना चाहिए क्योंकि इसमें गवर्नमैंट का अधिकार होता है। सैक्शन-35 में बताया गया है कि हम इसे टाइम-टू-टाइम बदलते रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी सैक्शन-35 के

तहत रेगुलेटर रखने का प्रावधान भी किया जाए ताकि जो रोप-वे लगाना चाहता है उसकी रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमैंट के पास अधिकार हो,धन्यवाद।

29.08.2019/1300/बी0एस0/ए0जी0-1

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह जी इसमें भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बिल की अभी चर्चा हो रही है और जो माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है वह बिल्कुल सही है, सरकार की मंशा इस बिल को लाने में ठीक नहीं है क्योंकि यह बिल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें पशु और आदमी एक साथ कैसे जाएंगे? उसके लिए तो आपको अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। अभी जिन होटल वालों ने रज्जू मार्ग लगाए हैं वे मास, मछली और शराब तो ऊपर टॉप में पहुंचा देते हैं परंतु अब जो पशुओं के आने-जाने की बात आ रही है उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही आदमियों की सुरक्षा का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार की Ministry of Environment and Forest बगैर इसकी क्लीयरेन्स के आप एक हजार मीटर से अधिक के एलिविएशन में आप रज्जू मार्ग नहीं लगा सकते। वे भी बहुत ज्यादा शर्तों के साथ अनुमति देते हैं। सबसे बड़ी जो रज्जू मार्ग बनाने में रुकावट आती है वह Ministry of Environment and Forest की आती है वे तीन-तीन वर्ष इसके लिए लगा देते हैं। वहां से क्लीयरेन्स नहीं मिलती। जब क्लीयरेन्स मिलती है तो बहुत ज्यादा शर्तें इसमें लगी हुई होती हैं आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आप दोबारा विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में बात कर लीजिए। यह जो बिल यहां पर लाया गया है आपको फिर से इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा आप नया सैक्शन-35 ला रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि यदि कोई आदमी रज्जू मार्ग लगाने में बाधा पहुंचाएगा तो आप उसे जुर्माना लगाएंगे। जबकि आई.पी.सी. में इस तरह के बहुत सारे कानून बने हैं तो आप सैक्शन-35 लाकर इंवेस्टर को और ज्यादा शक्तियां

प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि वहां पर कोई भी आदमी खड़ा हो तो वह उस पर केस दर्ज कर सके। इस किस्म के कानून मत लाइए जिससे आम नागरिकों के मन में डर पैदा होता हो, यही निवेदन मुझे आपसे करना है।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दशकों से इस माननीय सदन में मैं भी चश्मदीद गवाह हूं, मुझे भी इस माननीय सदन में लगभग 22 वर्ष का कार्यकाल होने जा रहा है। कितनी बार इस विषय को ले करके चर्चा हुई कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जू मार्ग की आवश्यकता है। आज के दौर में तो यह महसूस किया जा रहा है कि आपको यदि शहर को डी-कंजस्ट करना है तो इस दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। हमारे कुछ शहर जैसे शिमला, मनाली और धर्मशाला हैं, इसके अतिरिक्त और भी हमारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। वहां की यह आज आवश्यकता बन गई है। हमारे यहां कोई पर्यटक आता है तो वह घंटों-घंटो जाम में फंसा रहता है उसे आप क्या संदेश देने जा रहे हैं? दूसरा आज पर्यटक के लिए और परिवहन के लिए यह दुनिया भर में रज्जू मार्ग बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कई बार में इन सारी चीजों को ले करके हैरान भी होता हूं कि विपक्ष के लोग हर बात पर वहम और शंका व्यक्त करते हैं। इन चीजों से इन्हें अवश्य बाहर निकलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, काम करना कठिन होता है और रोकना बड़ा आसान होता है। यह जो सारी बातें हो रही है ये उसी दिशा में हो रही हैं कि इस कार्य को कैसे रोका जाए। शिमला में जाम लगता है तो लगा रहे, पर्यटक और स्थानीय लोग इसके कारण परेशान होते हैं तो होने दो। अब तो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि यदि हमें विधान सभा को आना हो तो हमें 10 मिनट पहले चलना पड़ता है क्योंकि सभी जानते हैं कि रास्ते में जाम लगेगा। इस परिस्थति को सार्वजनिक रूप से कहने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है परंतु यह कहना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को ले करके यदि हम स्वस्थ और साफ-सुधरी तथा पारदर्शिता से आगे बढ़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे लगता है कि इस कार्य के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। आज दुनियां में ऐसे-ऐसे रज्जू मार्ग बन चुके हैं जिनमें 300 से ज्यादालोग सफर कर सकते हैं।

यहां पर माननीय सदस्य ने कहा कि जानवरों को ले जाने का प्रावधान कैसे किया जाएगा? जानवर भी इसमें -जाएंगे, आप दुनिया में देख करके आइए रज्जू मार्गों में आदमी तो जा ही रहे हैं परंतु सामान और जानवर सब आ-जा रहे हैं।

29.08.2019/1305/DT/एजी-1

जानवरों का जिक्र मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपका जो यह बिल और प्रोविजन है यह आज का नहीं है यह प्रोविजन सैक्शन-18, 1968 का है। जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम पैदा ही 1965 में हुए। जब उस वक्त यह प्रोविजन रखा, उस वक्त आदमी के साथ-साथ जानबरों के बारे में भी सोचा गया तो आज आपकी सोच में क्यों अतंर आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर क्या होता है बिल पर हम चर्चा करते हैं, बिल पर चर्चा होनी चाहिए यह अच्छी बात है। चर्चा तो होनी चाहिए लेकिन जो अमैंडमैंट आई है उस पर प्रमुखता से विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,माननीय राम लाल जी ने जो बात यहां पर कही और जिस पर सब लोगो ने बात कहीं 10 मीटर से नीचे क्यों कर दिया? यह कम क्यों कर दिया कैसे कर दिया अगर आप व्यवहारिक रूप से सोचें तो शिमला के हालात को लेकर, हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर 10 मीटर का अभिप्राय क्या होता है? इसे कैलकुलेट करके देखों तो यह 30 फुट होता है। उससे भी ऊपर जाओ और शिमला की हवा, शिमला का मौसम शिमला की परिस्थितियों को देखें और इसका स्पैन बढ़ाएं तो आपको इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत करना पड़ेगा। क्या यह इक्नोमिकली वाइवल होगा? क्या वह अपने Seismic zone के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के लिए व्यवहारिक है। टेक्नीकल चीज के लिए हम भी ज्यादा बहस नहीं कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सैक्शन- 6 के बारे में यह कहना चाहता हूं। In Section 6, clause (viii-a) is being omitted. This clause was inserted vide Act No. 4 of 2016 with effect from 10th November, 2015. By this clause, it was provided that the minimum headway between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin under PPP mode should be 10 meters. However, it is creating technical

problems in designing the ropeway from seismic and wind velocity point of view and execution at the site. As per the Bureau of Indian Standard (BIS) जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है उसमें the minimum headway should be 1.5 meters to 5 meters. यह उन्होंने कहा है। हम उसको ही मान कर चल रहे हैं। The condition of 10 meters has become hurdle in setting up of the new ropeways. Therefore, this provision is required to be omitted. इसे टैक्निकल इग्जामिन नहीं किया ।

The Bureau of Indian Standard के अलावा हम बातें करने की कोशिश करें मुझे लगता है वह व्यवहारिक नहीं है। सैक्शन-9 के बारे में मुझे कहना है कि-as per the present provision of the Act even for getting extension of time in construction the promoter has to complete all the formalities as if applying afresh for the project. Thus the amendments are being made to simplify the procedure for extension of time. The promoter may apply for extension of time giving detailed reasons and the Government after due consideration may take a decision. This amendment is necessary in the interest of the project, economy and speedy construction. उसके बाद फिर मैं 27 का भी जिक्र करना चाहता हूं।

29-08-2019/1310/डी.सी.-एन.जी./1

मैं सैक्शन-27 के बारे में क्लीयर कर लूं। Under Section 27, the promoter will make bye-laws with the approval of the Government. In these bye-laws a provision exists to the effect that any person who contravenes them shall be liable to fine which may extend to any sum not exceeding fifty rupees. This amount was fixed more than five decades ago and has not been changed since then. 50 साल पहले यह अमाउंट तय किया गया था और उसको आज की तारीख तक बदला ही नहीं गया। Thus by the proposed amendment the amount of fine shall be

prescribed in the rules. रुल्ज़ में इसको प्रैस्क्राइब करेंगे। The fine should have a deterrent effect in the interest of the society or the passenger. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि काम रोकने के लिए कोई भी अड़चन पैदा करना बहुत मुश्किल नहीं होता लेकिन इस तरह से हमारा प्रोजैक्ट, जिस पर काम होना चाहिए, तेज गती से काम होना चाहिए, प्रोजैक्ट आधा बन गया है तो उसे पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार से अनावश्यक रूप से जो अवरोध पैदा करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितने hydel projects हैं जो commission stage में है लेकिन evacuation के लिए, वहां से वहां तक transmission line लगाने के लिए रोक दिया गया है। कितने हमारे ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जो बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सैंकड़ों करोड़ों रुपये उन पर इन्वेस्ट कर दिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी परिस्थिती बन गई है कि काम रोकने के लिए चार आदमी की जरूरत नहीं होती अब केवल एक कागज़ ही काफी होता है, कागज़ डालो और काम रोक दो। इसलिए मैं खासतौर पर माननीय सदस्य श्री सिंघा जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका नारा, जब आप और हम कॉलेज़ में पढ़ते थे तब आप खूब लिखते थे और लाल रंग से दीवार पर लिखते थे "जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा" और जैसे ही यह नारा एक नौजवान पढ़ता था वह एकदम आकर्षित होता था कि यह तो बहुत सही बात कही गई है, मेरे दिल की बात कही है। दिल की बात तो ठीक है लेकिन अब इससे आगे निकलना होगा, अब काम में सहयोग दीजिए, मदद कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सैक्शन-18 के सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूं कि Section 18 BOT (Built Operate& Transfer)& on PPP(Public Private Partnership) mode projects, the tariff charges can be decided through the bidding process. The provision will help attracting investment in the ropeway construction. माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें हमने जो उचित समझा है उसे किया है अब इसमें आप सब के सहयोग की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी, कृपया आधे मिनट में अपनी बात रखें।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक, मैं इनसे इसकी Complication समझना चाह रहा हूं। मैंने एक मंजिल बनाई, मैंने दूसरी मंजिल बनानी है, रोप-वे चलेगी, मैं तो हमेशा के लिए गया। आपका देवदार का पेड़ है, आपको सारे जंगल काटने पड़ेंगे तब रोप-वे बनेगा। ...(व्यवधान)... मुझे बताएं कि कैसे पोसिबल है, वह बीच में से कैसे जा सकता है। इस पर मैं क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, कृपया आधे मिनट में अपनी बात रखें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रोमोटर्ज़ हैं, वह ओपन बीडिंग करेगा, आपने एक्ट में प्रोमोटर्स को राइट दे दिया है कि पैसेंजर का अपने आप रेट फिक्स करेगा। यदि वह ओपन बीडिंग करता है, बीडिंग करने के समय यह मैंशन होना चाहिए था कि ओपन बीडिंग के द्वारा पैसेंजर के रेट को फिक्स किया जाना चाहिए, यह दो शब्द मैंशन होने चाहिए थे। लेकिन अब आपने उसे एक्ट के द्वारा पूरे राइट दे दिए हैं। यदि सिंगल बीडर आ गया और उसने five thousand per person रख लिया तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ओपन बीडिंग करने वाले को भी रेगुलेटर के माध्यम से पैसेंजर का फिक्स फेयर करने का उसको राइट होना चाहिए, सरकार के पास यह पावर होनी चाहिए। यह ठीक है कि हर BOT (Built Operate& Transfer) पर ओपन बीडिंग होती है, PPP(Public Private Partnership) मोड पर ओपन बीडिंग होती है लेकिन रेट फिक्स तो होना चाहिए या उसकी प्रपोज़ल

फिक्स होनी चाहिए। फिक्स नहीं हो तो ओपन बीडिंग पर आपके पास कोई पावर तो होनी चाहिए। धन्यवाद।

29/08/2019/1315/RG/DC/1

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजों को हमने यहां कह दिया है। There is already a provision for fix maximum rates Under Section-6(4)40,उसमें पहले से ही यह प्रावधान है, एक तो मैं यह भी कहना चाहता हूं। दूसरी बात जो श्री सिंघा जी ने कही, तो ऐसा नहीं है और हमारी कोई पेड़ काटने की मन्शा नहीं है, वे बहुत ही अलग परिस्थतियां होती होंगी, लेकिन उसमें जो भी उचित प्रकिया होगी, उसको भी फौलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम रोप-वे लगा रहे हैं, तो इसको काट दो, उसको तोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और नियम एवं कानून में कोई भी ढील नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी अपने संशोधन वापस लेना चाहेंगे?

श्री राम लाल ठाकुर : जी, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी के संशोधन वापस किए जाए?

संशोधन वापस हुए।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)' को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)' को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11)' सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण)विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण)विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण)विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए।

इस पर श्री हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा करेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान(शिलाई) : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मुख्य मंत्री ट्रिब्युनल के बारे में यहां बिल लाए हैं, वैसे इन्होंने ट्रिब्युनल को बन्द तो पहले ही कर दिया है और यह पहली बार नहीं है, वर्ष 2009 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी इस ट्रिब्युनल को बंद किया गया था। इसको बंद क्यों किया गया है? यह हम सब जानते हैं। सरकार बदली ट्रांसफर्ज का दौर चला और जो कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में या अपनी सेवानिवृत्ति पर थे, जो विकलांग थे या जो विधवाएं थीं, वे सब कोर्ट में गए और हर नागरिक या कर्मचारी का अधिकार है कि वह न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो उनको वहां से स्टे मिला और स्टे मिलने से प्रदेश सरकार या भाजपा के नेताओं को तकलीफ हुई। इसलिए इस ट्रिब्युनल को बन्द कर दिया गया।

29/08/2019/1320/MS/HK/1

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्ज बने हैं वे ज्यूडिशियल कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का बर्डन कम करने के लिए बने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है बल्कि हरियाणा में जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी कर्मचारियों को जल्दी राहत देने हेतु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह ट्रैंड ऑल ओवर इण्डिया में है। जैसे एन0जी0टी0, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक्साइज का ट्रिब्यूनल हैं और इन्कम टैक्स का अपना ट्रिब्यूनल हैं। इनमें स्पैशलाइज्ड जजिज और मैम्बर्ज होते हैं यानी जो उस फिल्ड के स्पैशलिस्ट्स हैं उनको इस मकसद से इनमें लगाया जाता है ताकि केसों का निपटारा जल्दी से हो। लेकिन आपने यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन्द कर दिया है। आपने अपने इस अधिनियम के ऑब्जैक्टिव्ज में कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और खर्चे के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम

माननीय उच्च न्यायालय में केसिज की पैंडेंसी पर नज़र डालें तो इस वक्त वहां 39285 केस पैंडिंग हैं यानी इस वक्त माननीय उच्च न्यायालय में 40 हजार केस पैंडिंग हैं। मैं बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय में जो लोग रिलीफ के लिए गए हैं, उनके केस तीन-तीन और चार-चार साल से हियरिंग के लिए नहीं लगे हैं यानी उन केसों की पहली हियरिंग के लिए भी तीन-तीन और चार-चार साल से बारी नहीं आई है और आप 21000 केस और ट्रिब्यूनल से ट्रांसफर करके उच्च न्यायालय में भेज रहे हैं। इतने केस और ट्रांसफर होने से उच्च न्यायालय की अब क्या स्थिति होगी? अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वर्ष 2014-15 में दुबारा से बना और उनके पास जो 34000 ऑरिजनल पीटिशन्ज आईं, उनमे से 23125 पीटिशन्ज का उसने निपटारा भी किया है। इसके अलावा रिव्यू पीटिशन्ज, कन्टेम्प्ट पीटिशन्ज और अन्य पीटिशन्ज भी हैं। यह ठीक है कि ट्रिब्यूनल में 21000 की पैंडेंसी है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल में पिछले एक साल से दो पद मैम्बर्ज के खाली हैं, उनको आपने क्यों नहीं भरा? सबसे बड़ी बात मैं इस सरकार को यह कहना चाहूंगा कि यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऐस्टेब्लिश किया गया था, उसकी एक बैंच हर महीने एक हफ्ते मण्डी में और एक एक हफ्ते धर्मशाला में काम करती थी। इस ट्रिब्यूनल की सर्किट बैंच से जहां वकीलों को भी काम मिला हुआ था, वहीं लोगों का भी आने-जाने का खर्चा बच जाता था।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वकील हूं और मुझे पता है कि ट्रिब्यूनल में कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कम है। माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी पता है क्योंकि ये स्वयं वकील है। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ट्रिब्यूनल में कम है और उच्च न्यायालय में बहुत ज्यादा है। इन सबको देखते हुए जो यह अधिनियम लाया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं। वैसे तो आपने इसे बन्द कर दिया है इसलिए हमारा विरोध कोई मायने नहीं रखता। मगर हम जनता की आवाज और कर्मचारियों की आवाज इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी के समक्ष लाना चाहते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों के प्रति बड़ी निर्दयी है और इनके अंदर कोई संवेदनशीलता ही नहीं है जबकि हमारी सरकार संवेदनशील थी। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग की बहुत बड़ी संख्या है। (..व्यवधान..) इस तरफ और उस तरफ आना-जाना चला रहता है और यह लोकतंत्र की परम्परा है। जब वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार

थी और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ट्रिब्यूनल को बन्द कर दिया था।

29.08.2019/1325/जेके/एचके/1

हमारी सरकार आई, हमने ट्रिब्यूनल शुरू कर दिया। ट्रिब्यूनल जब शुरू हुआ उस समय हाई कोर्ट में 4,000 के करीब केस थे क्योंकि ट्रिब्यूनल बन्द था। सरकारी कर्मचारी वकील के पास अनुरोध करते थे, वकील जज के पास अनुरोध करते थे। उस वक्त फैसला सिर्फ 500 केसिज़ में हुआ। ट्रिब्यूनल खुला और करीब 16,000 के करीब सरकारी कर्मचारियों के केस उसमें गए और 14,000 केसिज़ में राहत मिली। भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी सरकार कब कर्मचारियों का उत्पीड़न बन्द करेगी? इसके बन्द करने के पीछे क्या कारण है? इसमें कोई सोच नहीं है। इसमें अच्छी सोच से काम नहीं हुआ है। दो महीने पहले ट्रिब्यूनल के दो पदों का विज्ञापन देते हैं कि ट्रिब्यूनल में दो प्रशासनिक पद खाली हैं। उस समय कहा गया कि इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अप्लाई करते है, सरकार के अधिकारियों की चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मीटिंग होती है, पैनल बन जाता है और सलैक्शन हो जाती है। फिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि एकदम से ट्रिब्यूनल बन्द करने की आप घोषणा करते हैं? हरियाणा में आपकी सरकार रो-रो कर कह रही है कि हमने ट्रिब्यूनल खोलना है। हिमाचल में कर्मचारी उत्पीड़न सरकार क्यों इस ट्रिब्यूनल को बन्द कर रही है। आप कर्मचारियों के प्रति इतने निर्दयी क्यों हो रहे हैं? एक ही संस्था है जहां उनको राहत मिलती थी, जब कोई कर्मचारी राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार होता था या किसी का स्थानांतरण हो जाता था । माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप चुन-चुन कर उन सरकारी कर्मचारियों का, जो कांग्रेस की विचारधारा से सम्बन्धित है, उनका उत्पीड़न करने के लिए ट्रिब्यूनल बन्द कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य काफी हो गया। ...(व्यवधान)... सेम विषय है। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आपको केवल आधा मिनट दिया जाता है। आपने कानून की कोई बात नहीं कही, आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष जी, इस ट्रिब्यूनल को बन्द करने जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं होने देगी। आप लोग कितने ही रास्ते अपना लीजिए, इस प्रकार का उत्पीड़न सिर्फ कर्मचारियों को तंग करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उससे केवल कर्मचारियों को राहत मिलती है, किसी और को नहीं मिलती । हम राजनीतिक लोगों को उसमें राहत नहीं मिलती, किसान-बागवान को राहत नहीं मिलती, 9 लाख के करीब जो बेरोजगार हैं, उनको राहत नहीं मिलती। सिर्फ कर्मचारियों के उत्पीड़न के लिए इस बिल को आप यहां पर लाए हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।

अध्यक्षः माननीय श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया एक्ट पर ही बालें ।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को जिस तरीके से निरस्त किया गया, उसको खत्म किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाकर इसको खत्म किया गया और समझा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस के तौर-तरीके का भी कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन when was the ordinance brought हमारी असैम्बली 19 तारीख को बैठनी थी, this is the right forum अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो इसको स्ट्रेंथन करना है। जो भी चर्चा होनी है, आपने पास करना है, पास होगा लेकिन कम से कम यहां पर एक विधायक को मौका मिलता है, जिसने लैजिस्लेट करना है, अपने विचार रखने का, गलत है, सही है, आप माने या न माने लेकिन just ten days before आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, यह सिर्फ आपकी मानसिकता दर्शाती है कि लोकतंत्र पर कम विश्वास हो कर आप ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दस दिन रह गए हैं, get it here, चर्चा हो, खुल कर हो। आप भी अपना पक्ष रखें और दूसरों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए।

29.08.2019/1330/SS-YK/1

दूसरी बात, हम यह कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि हमने इकॉनमी करनी है, मैं समझता हूं कि वह उसके पीछे उद्देश्य नहीं है। हमारा छोटा-सा प्रदेश है, अगर हमने इकॉनमी करनी है तो पहलकदमी सत्तापक्ष से शुरू करते हैं। Let us begins from here. मंत्री महोदय जो बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं उनको सरेण्डर करके छोटी गाड़ी लाएं। इस पर भी सोच-विचार किया जा सकता है कि क्या वेतन है, क्या पैंशन है। Let us give the lead, all that can be done. अगर इकॉनमी बचानी है। इकॉनमी सिर्फ बहाना है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जैसा भी ट्रिब्यूनल था, दो खासियत थी जो सबको रिकॉर्ड करनी चाहिए। ट्रिब्यूनल खत्म हो रहा है और खत्म हो जायेगा। But let us put it on record कि यह दो काम करता था। एक, 'Justice delayed is justice denied'. अब जब हम केस हाई कोर्ट को भेज देंगे तो उस पर प्रैशर पड़ेगा। Already two Hon'ble Judges की वैकेंसी है। यह कहा गया कि 39000 केसिज़ हैं। मेरे पास 37000 का डाटा गलत था। 39000 वे हो गये और 22000 केसिज़ और ऐड कर लो तो the pressure on Hon'ble High Court will be increased. इससे जस्टिस डिले होगा। अगर जस्टिस डिले होगा तो आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 'Justice delayed is justice denied'. It is good as one part. अदर पार्ट, यह डोर स्टैप पर जस्टिस था। सर्किट कोर्ट सिर्फ मंडी नहीं था। सर्किट कोर्ट धर्मशाला में भी लगता था। इसीलिए आज यह भी मांग उठ रही है कि हाई कोर्ट का सर्किट कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो सर्किट कोर्ट धर्मशाला और मंडी जाता था, उससे लोग वंचित हो जायेंगे। इसलिए आप इस पर दोबारा सोच-विचार करें। कुछ और लोग जो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं या हमारे जैसे रिटायर हो रहे हैं वहां पर उनको काम करने का मौका मिल जायेगा और बैलेंसिंग फैक्टर हो जायेगा। जस्टिस भी आसानी से मिल जायेगा, यह मेरा मानना है। Please rethink on this question.

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्षः अब ठाकुर राम लाल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैनादेवी जी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर चर्चा चली है और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जब तकरीबन बंद ही कर दिया तो यह लकीर को पीटने वाली बात है। सरकार ऑर्डिनैंस लेकर आई और ऑर्डिनैंस के माध्यम

से जो सरकार की मंशा थी, वह पूरी हो गयी। लेकिन यहां पर औपचारिकता के लिए बिल लेकर आए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है। मान लो, किसी कर्मचारी से अन्याय हो रहा है तो वह चम्बा का भी हो सकता है, वह हमारे ट्राईबल एरिया का भी हो सकता है इसलिए मैं कहूंगा कि जो सर्किट कोर्ट ट्रिब्यूनल के थे, इनके माध्यम से कर्मचारियों को नज़दीक में न्याय मिल जाता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसे भी केसिज़ आए कि वह चल-फिर नहीं सकता लेकिन मेरे को पसन्द नहीं है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री या मंत्रियों के पास लैटर दिया, चाहे वह क्लास-IV कर्मचारी है या लेबर का काम करने वाला है उनको ट्रांसफर करके दूर-दराज क्षेत्र में भेज देते थे। कइयों की रिटायरमैंट का एक साल बाकी बचा हुआ है लेकिन नेता को लगता है कि मुझे यह नहीं चाहिए तो वे नोट भेजते हैं और संबंधित व्यक्ति की तुरन्त ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लोगों के पास चारा यह था कि वे ट्रिब्यूनल में अपने केसिज़ को लेकर जाते थे कि मेरी एक साल बाद रिटायरमैंट है या मैं स्वस्थ नहीं हूं या मैं फिजीकली हैंडीकैप्ड हूं या मेरे घर की प्रॉब्लम है तो उनको राहत मिल जाती थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसमें जो चेयरमैन लगे हैं वे Luminaries थे। अगर आप देख लें कि जितने भी चेयरमैन लगे हैं वे ऐसे लोग हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी एक स्टैंडिंग थी। लोगों को विश्वास था कि उनको वहां (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) पर न्याय मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब दिक्कत यह आ गई है कि जो क्लास-III या क्लास-IV कर्मचारी है वह अगर हाई कोर्ट में जायेगा तो हाई कोर्ट में जाने की फीस डबल हो जायेगी। ट्रिब्यूनल में तो 5 हजार रुपये या 10 हजार रुपये में काम चल जाता था।

29.08.2019/1335/केएस/वाईके/1

या मान लो कोई मेरा जैसा वकील है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो हमारे एडवोकेट भी ट्रिब्यूनल में जा कर पेश हो जाते थे, अपना वकालतनामा दिया, और उस कर्मचारी के लिए वहां पर जा कर खड़े हो सकते थे। लेकिन सुरेश भारद्वाज जी, अब ऐसा नहीं होगा।

...(व्यवधान)...आपने मौका ही नहीं दिया तो गला घोंट दो फिर किसी का। आप जब किसी को मौका ही नहीं देंगे, आपने हाई कोर्ट में भेज दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दोबारा ट्रिब्यूनल बना तो लगभग 24,425 केसिज़ वहां पर डिसाइड हुए। पिछले

पीरियड में 839 कंटैम्प्ट पटिशन्ज़ भी डिसाइड हुईं, 46 रिव्यू पटिशन्ज़ भी डिसाइड हुईं, 223 एग्ज़िक्यूटिव पटीशन्ज़ भी डिसाइड हुईं और 9,148 केसिज़ डिसाइड हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे सिंघा साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में कितने केसिज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं, जजिज़ कि कितनी शॉर्टेज़ है, अगर मान लो ये 26 या 27 हजार केसिज़ वहां पर चले गए तो इन केसिज़ को लगाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रार के पास ही रातें काटनी पड़ेगी, ये केस ही नहीं लगेंगे और इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, आपका यह फैसला कर्मचारी विरोधी है, गरीबों के विरुद्ध है क्योंकि क्लास-थ्री या क्लास-फोर कर्मचारी कहां से 20 या 25 हजार रुपये देंगे ताकि उनके केस की सुनवाई हो? पता नहीं रजिस्ट्रार लगाएगा या नहीं, हाई कोर्ट में बारी आएगी या नहीं आएगी, तब तक वह रिटायर भी हो जाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके दोबारा से सोचें। लोगों के विरुद्ध फैसला नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि कुछ मित्रों को ट्रिब्यूनल के समाप्त होने पर बहुत दिक्कत हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में सिर्फ 6 प्रदेशों में ही ट्रिब्यूनल है। आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया? उड़ीसा में अभी बंद हुआ है और बाकी प्रदेशों में भी जहां प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, वह सैंट्रल एक्ट के तहत है और वे भी इस बात पर विचार कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया। पूरे विषय पर बहुत गम्भीरता से चर्चा करने के बाद, साथियों से सलाह करने के बाद और कर्मचारियों के साथ भी सलाह करने के पश्चात ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस भावना के साथ हमने यह निर्णय लेना होता तो सरकार बनने के एक महीने के बाद ही हम यह निर्णय ले सकते थे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम था कि ये लोग यही करने वाले हैं। ...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने बहुत गम्भीरता से कर्मचारियों के साथ भी बात की है, विधायकों के साथ भी और जनता का इस बारे में क्या ओपीनियन है, उनसे भी बात की है, उसके बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं। ...(व्यवधान)...

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी तानाशाही कर रहे हैं। ये किसी की नहीं सुनना चाहते और अपने मन की ही कर रहे हैं। ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि उनके फैसलों पर कोई ऊंगली उठाए।...(व्यवधान)...

29.8.2019/1340/av/ag/1

(कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करते रहें।)

मुख्य मंत्री : इसमें तानाशाही की क्या बात है? (...व्यवधान...) हर बात में राजनीति करते हैं। (...व्यवधान...) हमने सोच-विचार करने के बाद निर्णय लिया और इसीलिए इसमें वक्त लग गया। हमने सारे पहलुओं पर गहराई से अध्ययन करके यह निर्णय लिया है न कि किसी राजनैतिक मकसद से इसको समाप्त किया है। हमने इस पर विचार विमर्श किया कि क्या कर्मचारियों को सही मायने में न्याय मिल रहा है या नहीं। इस छोटे से प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लगभग 21000 मामले लम्बित पड़े हैं। इसी के दृष्टिगत हमने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में ट्रिब्यूनल की जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

(विपक्ष के सभी सदस्य [श्री राकेश सिंघा सहित] सदन से वॉकआउट करके चले गये।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ओर्डिनेंस लाया। उस ओर्डिनेंस को लाये हुए तो काफी समय हो गया है और आज तो यह ऐक्ट केवल ट्रिब्यूनल में जो लम्बित मामले थे उनको

हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए है। इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इनके इस तरह राजनैतिक मकसद के साथ किए गए वॉकआउट की घोर निंदा करता हूं और केवल इसलिए कि ट्रिब्यूनल हमारा है तथा यह हमारे लिए ही उचित निर्णय करेगा। लेकिन हमने प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान किया है। कर्मचारियों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि यह कहता था कि जिस न्याय की उम्मीद के लिए आपने ट्रिब्यूनल की स्थापना की है उस ट्रिब्यूनल में दो-दो साल से हमारे केस लम्बित पड़े हैं और उन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इस छोटे से प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लगभग 21000 मामले लम्बित पड़े हैं और इसका वित्तीय बोझ अलग से है। मगर इसके अतिरिक्त जो न्याय किसी कर्मचारी को मिलना चाहिए वह समय पर नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं लग रही थी इसलिए यह निर्णय लिया गया है। दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट में 13 जजिज में से वर्तमान में 11 जज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जुडिसियस तरीके से क्योंकि कर्मचारियों की ओर से भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां ठीक प्रकार से न्याय मिलेगा। वहां जब ये मामले जायेंगे तो उनके बारे में समयबद्ध तरीके से निर्णय भी होगा और कुछ लोग अनावश्यक रूप से राजनैतिक मकसद से स्टे के लिए जो गुंजाइश बनाते थे; वे सारी सम्भावनाएं भी इसके साथ समाप्त होगी। इसलिए मेरा मानना है कि इस बिल को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 3.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

29.08.2019/1500/टी.सी.वी./डी.सी.-1

(सदन की बैठक दोपहर के भाजनोपरान्त 3.00 बज़े अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है और 3.00 बज़ गये हैं। नियम-62 के अंतर्गत दो मद प्रतिदिन लगाने का प्रावधान है और आज नियम-62 के अंतर्गत 4 मद श्री राम लाल ठाकुर, श्री राकेश जम्बाल, श्री मुकेश अग्निहोत्री और श्री नरेन्द्र बरागटा के आये हैं। आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है और विधान सभा कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को भी एक्सैप्ट किया गया है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए ताकि गैर-सरकारी कार्य दिवस पूरी तरह से समाप्त न हो जाये क्योंकि उसकी सैंक्टिटी का प्रश्न है। इस बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर जैसा सदन विचार करें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें माननीय सदस्य, माननीय सदन में हमेशा अपना विषय उठाने का अधिकार रखते हैं। आज बिल के पारण में काफी समय लग गया और इस कारण से समय का अभाव हो गया। नियम-62 के तहत जितने मामले आज के लिए लगे हैं, उनका लिखित रूप में तो जवाब आ ही गया है, यदि माननीय सदस्य जिनके ये नोटिसिज़ लगे हैं, उनको यह स्वीकार हो तो आज प्राइवेट मैंबर डे पर सदन को आगे चलाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कल भी माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि आप सत्र की अवधि को बढ़ा दें क्योंकि कारण चाहे कोई भी रहा हो, एजेंडा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पहले भी एजेंडा फॉर्वर्ड करना पड़ा और आज फिर

फॉर्वर्ड हुआ है। आज 5 बज़े से ज्यादा हाउस को नहीं बढ़ाया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लिखित उत्तर दे देंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, इसलिए इनका रिप्लाई लिखित में नहीं हो सकता है। आप 15-15 मिनट का समय चारों को दे दें। एक घण्टा इन पर चर्चा कर लेते हैं और एक घण्टा प्राइवेट मैंबर डे के तहत लगे विषयों पर चर्चा हो जायेगी।

29-08-2019/1505/NS/DC /1

अध्यक्षः सत्र में माननीय सदस्यों के ज्यादा-से-ज्यादा विषय लगे हैं। ज्यादा-से-ज्यादा विषय लगें, इसके लिए हमने कुछ प्रिसीडेंस को ब्रेक किया है। एक दिन में दो विषय नियम-62 के लगते हैं, हमने तीन और चार भी लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे ताकि ज्यादा लोग एडजस्ट हो सकें। आज हमारे पास 5 मामले इस समय प्राईवेट मैंबर डे के हैं और एक घंटा 55 मिनट का समय बचा है। अगर हम आज प्राईवेट मैंबर डे कर लें और कल नियम-62 के चारों विषयों को हम नियम-130 के उत्तर के बाद ले लें तो माननीय सदस्यों के विषय भी आ जाएंगे और नियम-101 भी जिंदा रहेगा। हमारा कैरी फॉरवर्ड करने का भी प्रिसीडेंस नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह विषय महत्वपूर्ण है और इस माननीय सदन में आ जाए। जहां तक नियम-130 को नियम-62 में बदलने का सवाल है तो हम इसको नियम-130 में भी लगा देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु नियम-62 का ऐसा होता है कि आधे-पौने घंटे में विषय निकल जाता है और हमारे पास लगभग 30 या 31 विषय हैं। अगर हम आज प्राईवेट मैंबर डे को कर लें और कल इस एजैंडे को करें तो मेरे ख्याल से यह 12.30 बजे अपराह्न सूची में आ जाएगा तथा इसका लाभ भी रहेगा। माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी आप बोलिए।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, definitely Private Member's Day is important. इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल भी हाउस को समय से पूर्व एडजोर्न किया गया जबकि समय बढ़ा करके कल की कार्यवाही कल ही खत्म की जा सकती थी। यह प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। कल समय से पहले हाउस को एडजोर्न किया गया, इसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हमने आपके साथ कोपरेट किया है। कल यह बात हुई थी कि जो भी कार्यवाही नियम-61, 62 में बच गई हैं, वे सारी-

की-सारी कैरी फॉरवर्ड होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आप नहीं थे और हम उसमें सहमत हो गए थे। अगर हमारे ये चार विषय यानी तीन विषय पिछले कल के और एक विषय आज का तथा दो अगले दिन के होंगे तो कुल छः विषय हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मैंबर डे महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं आपके साथ सहमत हूं।। am all for that कि होना चाहिए। यह बड़ी मुश्किल से एक दिन मिलता है। इसको शुक्रवार से वीरवार इसलिए किया गया था कि शुक्रवार को माननीय सदस्य चले जाते थे। प्राईवेट मैंबर डे पर जो माननीय सदस्य चले जाते थे, वे आएं। मगर इस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर कल के भी दो हैं तो इसकी वजह से टोटल एजैंडा डिस्टर्ब हो गया है।

अध्यक्षः माननीय आशा जी, आपने अपनी बात कही। प्राईवेट मैंबर डे कल नहीं हो सकता है और यह किसी और दिन भी नहीं हो सकता है। इसमें आज चाहे एक, दो या तीन विषयों पर चर्चा हो, हम जितने विषय निकाल सकते हैं, निकालेंगे। हम कल सत्र की समयावधि बढ़ा सकते हैं। हम इसको 5.00 बजे से 7 या 8.00 बजे भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय राकेश पठानिया जी, आप बोलिए।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह ही दिया है Private Member's Day is special day for all the Hon'ble Members. हमारे पास केवल 1 घंटा 50 मिनट का समय बचा है और इसमें छः मामले लगे हैं। इसमें क्या बोलेंगे और क्या डिस्कस करेंगे। इसलिए please maintain the sanctity of the Private Member's Day. यही आपसे रिक्वैस्ट करनी है।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी, आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये एजैंडा किस ढंग से है? मैं मानता हूं कि प्राईवेट मैंबर डे महत्वपूर्ण है। अभी यहां पर विषय माननीय जीत राम कटवाल जी का लगेगा और उसके बाद भी सत्ता पक्ष का लगेगा तथा कल राकेश जी का जवाब आएगा then what are for we sitting here? क्या विपक्ष का कोई एजैंडा लगेगा? अगर आपको ऐसे ही चलाना है तो आप अपना एजैंडा चलाते जाएं।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी मैं आपको इसकी डिटेल निकाल कर बता दूंगा। ...(व्यवधान)... देखिए प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुकेश जी आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)... एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, मैं कल का एक छोटा-सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल एक विधान सभा के अध्यक्ष ने पूरी मीडिया के सामने यह कहा कि हम किसी दल विशेष से तो आते हैं परंतु अध्यक्ष के आसन पर बैठकर हम पूर्ण प्रयास करते हैं कि सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले। हम जिस दल से आते हैं, वे सोचते हैं कि यह मेरे दल से है और मेरा काम करें लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह सोचता है कि यह मेरे दल से नहीं है। मुझे यह कहना है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों के कितने-कितने विषय चर्चा के लिए लगाए गए हैं, इसकी सूची आपको भेज दी जाएगी। माननीय सदस्यों की सहमति से आवश्यकता अनुसार कल माननीय सदन का समय दो या तीन घंटे बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिकतर विषयों पर चर्चा की जा सके। 'प्राइवेट मैंम्बर डे' न कल हो सकता है और न ही परसों इसलिए दोनों दिन माननीय सदन का समय बढ़ाकर हम सभी मुद्दों को समाप्त कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य, श्रीमती आशा कुमारी जी मेरी बात से सहमत हो तो हम 'प्राइवेट मैंबर डे' की तरफ मूव करें।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदन की सीटिंग्स को एक्सटैंड कर दीजिए। जो दो-तीन दिन पहले लूज़ हुए हैं for a reason which was not in your hands that was unfortunate जिसकी वजह से हमारे दो-तीन दिन लूज़ हो गए, आप दो दिन हाउस एक्सटैंड करने की कृपा करें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्रीमती आशा कुमारी जी, माननीय सदन की बैठक पांच बजे से सात बजे या आठ बजे तक एक्सटैंड करना तो मेरे हाथ में है लेकिन हाउस एक्सटैंड करना एक अलग विषय है। अब मैं गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के संकल्प पर चर्चा करने के लिए श्री जीत राम कटवाल जी को आमंत्रित करता हूं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

गैर सरकारी सदस्य कार्य "संकल्प"

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महादेय, मुझे इस संकल्प पर बोलना है। माननीय सदस्य का जो संकल्प है - 'This House discusses the situation arising out of restrictions imposed on all constructions works stopped due to FRA/FCA cases in the State'. My respectful submission is, Hon'ble Forest Minister has already written to the Hon'ble Speaker that this matter is pending before the Hon'ble Supreme Court of India and the stay order has been granted by the Hon'ble Supreme Court. In this regard our reply will be that there is a stay order granted by the Hon'ble Supreme Court, so how can we discuss this matter in the Hon'ble House? Otherwise Rules of the Hon'ble House also says; 'the matter which is pending before the Hon'ble Court and which is sub-judice matter that cannot be discussed'. So, my respectful submission is that this resolution may either be postponed and this should not have been listed as Private Member's Resolution under Rule-101; the Forest Minister has already written about this to the Secretariat of Vidhan Sabha.

29.08.2019/1515/बी0एस0/एच0के0-1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी, आप क्या कहना चाहते है?

श्री आशीष बुटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने संकल्प लाया है उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि this subject is subjudice in the Hon'ble Supreme Court of India. इसी को ले करके हम सब सदस्य चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इस मामले को पेश किया जा रहा है वह वैसा नहीं है। जो हकीकत है वह यह है कि सभी विकास कार्य बंद पड़े हैं। इस बारे में हम सब सदस्य चर्चा करना चाहते हैं।

Shri Rakesh Singha : Hon'ble Speaker, Sir, there was a stay on it in the first hearing. उसके बाद स्टे हट गया है। It is unfortunate that the Government doesn't know this. वह स्टे हट गया है there is no stay now.

श्री राकेश पठानिया : आदरणीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी इस विषय को सरकार के ऊपर लाना चाह रहे हैं, ऐसी मंशा सरकार की नहीं है। हम सभी पक्ष के लोग इसकी चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। All development works of all MLAs have been stopped. So please stop blaming the Government for this. The issue is that, if the matter is subjudice then it will be decided by the judiciary to take up the matter or not. We are all with Sh. Jeet Ram Katwal on this issue and we are of the opinion that all the development works have come to a standstill because of this stay.

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री : Speaker, Sir, the State Government has not imposed any ban on construction works in FRA/FCA cases in the State. However the Supreme Court of India in IA No- 3840 in Civil Appeal Number - 202/1995 TN, Godavarman Thirumulpad Versus Union of India & Ors. on 11th March 2019 has passed order for imposing ban for diversion of forest land under FRA, 2006 & FCA 1980. The operative part of the order is, "in case of diversion where approvals have been given by the DFO but felling of tress has not been done, no felling of the tress shall take place till next date of hearing. There shall be no diversion of the forest land allotted to a protection working circle in any working plan under FRA & FCA till next date. The DFOs' are restrained to exercise the power under Section 3(2) of FRA, 2006 till next date. The authorities to ensure that destruction of the valuable and precious forests of Himachal Pradesh does not take place in any manner. Whatsoever, let there be no diversion of forests

for any non forestry purpose processed under FCA regulation till the next date. So in view of the clear cut orders of the Hon'ble Supreme Court it will not be proper for the Hon'ble House to discuss this issue in this Hon'ble House and Rule of the Hon'ble House is also that we don't discuss any issue which is pending before any court or which is subjudice. So my request is that the Hon'ble Speaker may decide whatever we should do for this resolution. ---(interruption)--- आप इस तरह से इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं आप इसका contrary order ले आइए कि यह मामला खत्म हो गया है।

अध्यक्ष : मानीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय let the Hon'ble Minister give the copy of the order of the next date. It was in the month of march ---(interruption)--- and what order was passed by the Hon'ble Supreme Court should be produced here. आप बताइए?

अध्यक्ष : जब मेरे पास यह विषय आया तो अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर गहन चिंता व्यक्त की कि सभी काम standstill हो गए हैं और हमें इसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए और सरकार का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि वन विभाग मामले तैयार करके अपने तक रख रहा है और वह आगे नहीं भेज रहा है। मुझे लगता है कि हम guarded manner में किसी भी तरह से न्यायालय के प्रति कोई टिप्पणी न करते हुए अपनी बात संक्षेप में रखें क्योंकि यह समस्या गंभीर है। माननीय मंत्री जी उसके समाधान की दिशा में आगे प्रयास करें। मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें किसी प्रकार का expression न आए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

Education Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I will have to give the reply of this. I want to say that the Government is not stopping any construction work. The construction works are not being done here because of the cases pending before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Members are referring the orders passed in some cases in the month of May and April. These orders pertain to some specific cases. But most of the works have been stopped due to the stay orders of the Hon'ble Supreme Court keeping in view the FCA/FRA. We have appointed a Senior Advocate in the Supreme Court to defend the issue.

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आपको वन मंत्री के विहाफ पर उत्तर देना है। आप स्वयं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। क्या उत्तर किस प्रकार देना है हम इसको एक्सपीडाइट करते हैं। मैंम्बर्ज 5-6 मिनट में अपनी बात कहें तो विषय भी आ जाएगा और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। माननीय कटवाल जी पांच मिनट में अपनी बात रखें। मैं छठा मिनट किसी माननीय सदस्य को नहीं दूंगा।

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर बात हो रही है, एफ.सी.ए. और एफ. आर.ए. के केसिज हिमाचल प्रदेश में जो गार्डिड मैनर में आपने शब्द यूज किया कि उसमें एक्शन होना चाहिए और यह लेबर कोर्ट का मामला है। यह बात सही है कि टी.एन. गोदा वर्मन केस 1995 से चल रहा है और एक बार हिमाचल प्रदेश को इसमें एक करोड़ रुपये फाइन भी हुआ है। This figure means defacement of rocks of Rohtang और उस केस को जब मैं वहां बैठता था तो उस समय अटैंड भी किया हुआ है। जो सरकार की डवलपमैंट की स्कीम्ज हैं, सोशल वैलफेयर मेयर्ज हैं, 2-3 विस्वा जमीन देने की बात है, 10 सालों से सड़कों के लिए बजट पड़ा है, उसमें एक स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है। यह गवर्नमैट और कोर्ट दोनों में सबसे हाइली कंटैस्टिड इश्यू

है । एनवायरमैंट एक्टिविस्ट भी इस विषय पर बात करते हैं। आज यह सब सदस्यों को न केवल प्रभावित करता है परंतु इस हद तक प्रभावित करता है, जो गवर्नमैंट की स्कीम है या बजट है उसका टाइम पर प्रयोग नहीं हा रहा है। 67 प्रतिशत लीगली फोरैस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में है और 13 एक्टिविटिज में एफ.आर.ए. में परमिशन मिलती थी। अब फेयर प्राइस शॉप और कम्यूनिटी सैंटर को छोड़कर 11 मामलों में दो बार इन्होंने परमिशन दी है और यह लगभग 116 मामले हैं जिसमें यह परमिशन मिली और बाकी यह कह जाता है कि मोनिटरिंग कमेटी के ऊपर कोर्ट परमिशन देता है। इश्यू यह नहीं है कि कोर्ट मैटर है, इश्यू यह है कि एक वर्किंग प्लान वन विभाग बनाता है। भारत सरकार उसको अप्रूव करती है और उसके बाद उसको एक्सपैरिमैंटल व रेगूलेटिड सिल्वी कल्चर फैंलिंग का प्रावधान है उसको लागू करने के लिए इन्होंने

29-08-2019/1525/वाई.के.-एन.जी./1

इसमें 'Interlocutory Application No.3840 of 2014' वन विभाग ने दी और इसका एक फैसला दिनांक 11-03-2019 को आया है, माननीय मंत्री जी ने जिसका रैफरेंस भी दिया है। इसके बाद कुछ permissions मिली और सिल्वीकल्चर फेलिंग की Monitoring Committee बनी जोकि 1500 मीटर से नीचे-नीचे वाले फोरेस्ट के लिए फोरेस्ट मैनेजमेंट और फोरेस्ट ऑप्रेशन के लिए जरूरी था। उसमें देवदार के पेड़ शामिल नहीं थे और 1500 मीटर का मतलब 4800 फुट तक के लो लेवल के पेड़ शामिल थे। इससे प्रदेश सरकार को ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होने वाला था। इसके लिए फोरस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता जरूर रही होगी डिपार्टमेंट को परन्तु इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो Monitoring Committee है, उसने उस इश्यू से हट कर FRA/FCA केसिस के ऊपर ब्रेक लगा दी। उसमें रेगुलेटिट रिपोर्ट के बेस में परमिशन मिलने लगी, जैसा मैंने अभी कहा कि 116 केसिस और 267 हैक्टर की परमिशन मिली, इसमें कुछ हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ दूसरे छोटे-छोटे अन्य वर्कस हैं। इसके कारण न सिल्वीकल्चर फेलिंग और experimental या वर्किंग प्लान के उपर ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं इस

माननीय सदन में रेगुलेटिड टाइम में और रेगुलेटिड मैनर में यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदन की एक कमेटी बनाई जाए और इस बात पर चिन्तन करे कि, क्या इतनी देर तक यह काम रूक सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष बजट आता है और उसके लिए हम लगातार वेट भी करते हैं परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8-10 वर्षों से सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं क्योंकि FCA के केस नहीं बने, FRA की कमेटियां तो बनी लेकिन अब यह आगे कहीं अटक गया। लैंडलेस को सरकार द्वारा 2-3 बिस्वा जमीन देने का प्रवाधान है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी इसी कारण बन्द हो गया। कुछ समय पहले बिलासपुर में 20-सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक हुई तो अधिकारियों ने बताया कि हम FCA के अन्तर्गत आते है और उसमें जमीन नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी Monitoring Committee है और उसकी रिपोर्ट पर ही यह काम होता है और हम इन कार्यों को किस स्तर पर और किस तरह से उठाएं? माननीय सदन की कोई कमेटी भी हो सकती है ...(घण्टी)... जो इसको देखे और इसमें जो प्रोविज़न हैं उन पर भी गौर करना जरूरी है। मुझे लगता है कि दुनिया भर का बजट सब विधान सभा क्षेत्रों में पड़ा होगा और उसके ऊपर काम न होना समाज के साथ, अपने वोटर्स के साथ, सोसाईटी के साथ अन्याय है। ...(घण्टी)... 'Interlocutory Application No.3840 में Monitoring Committee का रेफरेंस आया कि आप डिपार्टमेंट को आंवटन कर सकते हैं, हम सिल्वीकल्चर फेलिंग नहीं करेंगे और automatically यह आर्डर भी हो जाएगा।

अध्यक्षः आपने विषय रख दिया है, अब अगले वक्ता को बोलने दें।

श्री जीत राम कटवालः मैं कहना चाहता हूं कि नियम-62 में लैंड लेस पसर्न और टूरिज़म वाले दो प्रस्ताव आए हैं और इनके साथ बेमानी हो जाती है यदि हम जमीन का प्रावधान नहीं कर पाते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 पंचायतें आज भी पिछडी हुई हैं। वहां पर जब कभी भी हम काम करने की या सड़क बनाने की बात करते हैं तो कम-से-कम FCA/FRA तो मिल जाए, अगर हम सिल्वीकल्चर फेलिंग के ऊपर फैसला ले लेंगे कि यह करना है या नहीं। इससे इन्कम ज्यादा तो नहीं होने वाली है क्योंकि ब्रोड लीवस, खैर या 10 year

felling rotation में जो काम होता है, उससे भी काम चल सकता है। यह माननीय सदन और मेरे बाद के जो वक्ता होंगे वह भी शायद इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं ज्यादा न कहता हुआ और जैसे कि आपने टाईम की कमी बताई है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि इस विषय को हम ऐसे ही खुला न छोड़ दें और इसके ऊपर अवश्य कोई कार्रवाई करें या कोई अच्छे लॉयर्स के माध्यम से माननीय सुर्पीम कोर्ट के आगे अपना पक्ष रखें। जो पैसा डैस्टिनेशन में लोगों के लिए जाना चाहिए वो लोगों तक पहूंचे और जो लोगों की development expectations हैं उसे भी पूरा किया जा सके। इस एक्ट की वजह से पूरे भारत वर्ष में तो FRA/FCA के केसिस हो रहे होंगे परन्तु हमारे तो वो भी बन्द हो गए और यह परिस्थिती चिन्ताजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

अध्यक्षः आपका विषय आ गया है ...(घण्टी)...

श्री जीत राम कटवालः माननीय मंत्री से आग्रह है कि इस पर जरूर गौर करें। धन्यवाद।

29/08/2019/1530/RG/AG/1

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक नहीं दे पाएंगे।

श्री आशीष बुटेल(पालमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जीत राम कटवाल जी द्वारा जो यहां गैर-सरकारी संकल्प रखा गया है, मैं उस पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मैंने और आदरणीय श्री राकेश सिंघा जी ने इस माननीय सदन में आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछा था जिसमें हमने फॉरेस्ट राईट्स ऐक्ट के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसका जो जवाब आया, उसमें भी बहुत क्लीयरली यह मेन्शन हुआ कि जो हमारा 11.3.2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें till the next hearing यह बैन हुआ। एफ.आर.ए. में जो परमीशन्ज थीं, वे सिर्फ उस हियरिंग डेट से जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगी, उसके लिए बैन हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा क्रोनौलौजिकल ऑर्डर में इस रिकॉर्ड को यहां रखना चाहूंगा। सबसे पहले दिनांक 12.12.1996 को जब T.N. Godavarman Versus UOI के केस

में जजमेंट आई, उसमें सिल्वीकल्चर के ऊपर यह कहा गया और उसमें हिमाचल प्रदेश में ग्रीन फेलिंग के ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया। Absolutely there was a complete blanket ban on green felling in Himachal Pradesh. फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन्टरलोक्युटरी ऐप्लीकेशन जिसका नं. 3840/2014 डाली, जिसमें यह कहा गया कि सिल्वीकल्चर में हमें वर्किंग प्लान के हिसाब से अलॉऊ किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 16-02-2018 को फिर एक ऑर्डर आता है जिसमें वे कहते हैं कि we will not allow felling but we will allow silviculture falling in different areas and different ranges, जैसा कटवाल साहब ने अभी मेन्शन किया। जैसे नूरपुर के एरिया में खैर, बिलासपुर के भराड़ी के एरिया में चील और साल नाहन के एरिया में अलॉऊ कर दिया गया। उसके साथ में इस सिल्वीकल्चर के जरिए जो फेलिंग होनी थी, उसको मॉनिटर करने के लिए एक रिटायर्ड आई.एफ.एस. ऑफिसर एवं नौणी विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर की एक कमेटी बनाई गई और उसको यह कहा गया कि हर 6 महीने के बाद वह कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। एक रिपोर्ट इनकी पहली गई, उसके बाद दिनांक 15-2-2019 को second report of this committee was laid in the Supreme Court. उसमें एफ.आर.ए. स्टॉप करने के लिए एक सिफारिश दी गई, तो इस कमेटी ने सबसे पहले एक रिकॉमन्डेशन भारत के सुप्रीम कोर्ट में दी और कहा कि एफ.आर.ए. में डायवर्जन्ज नहीं होने चाहिए और एफ.सी.ए. में डायवर्जन्ज हो जाएं, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। यह भी कहा गया कि डी.एफ.ओज़. को under Section 32 of FRA, 2006 जो पॉवर्ज दी गई हैं, उन्हें स्नैच या विदड्रॉ कर लिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह केस 11.3.2019 को लगा, जिसमें उन्होंने बहुत क्लीयर किया, जो अभी यहां मंत्री महोदय ने भी पढ़ा। उन्होंने कहा where felling has not been done, felling of trees should not be done till next date. उन्होंने अपने ऑर्डर में चार प्वाइंट्स दिए, उसमें नेक्स्ट डेट का मेन्शन किया। उसमें यह नहीं कहा कि we are banning it forever. They only mentioned कि आज 11-3-19 को जो ऑर्डर हम पास कर रहे हैं, उसकी अगली जो डेट आएगी, उस तक हम इसको बैन करते हैं, उस तक हम इस पर स्टे करते हैं। There was no blanket stay. Then the next date was scheduled for 1st April, 2019 which didn't happen and the date went on to 15.04.2019. और उस दिन स्टेट ने एक अफेडेविट फाईल किया। उसके बाद सेक्शन-32 में जो कम्युनिटी सेन्टर्ज, फेयर प्राईस शॉप्स, अस्पताल इत्यादि 13 कैटागिरी के लिए तो डायवर्जन्ज अलॉऊ थी, उनमें

से 11 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया ने अलाऊ किया और दो सिर्फ एक कम्युनिटी सेन्टर्ज तथा फेयर प्राईस शॉप्स को उन्होंने डिसअलॉऊ किया और हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह कहा कि आप एक डिटेल्ड प्लान लाइए। जो ऑन गाइंग प्रोजैक्ट्स हैं, उनको मत रोकिए, कम्युनिटी सेन्टर्ज तथा फेयर प्राईस शॉप्स को छोड़कर आप वे करना शुरू कर दें। Then it was again listed on 29.04.2019. On 15th April, 2019 हिमाचल प्रदेश सरकार एक पूरे प्लान का अफेडेविट फिर से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करके आई और उसके बाद उस प्लान के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलॉऊ किया।

29/08/2019/1535/MS/AG/1

उसके बाद एक सड़कों का विवरण कि कहां-कहां पर आपने रोड्ज निकाली उसका एक एफेडेविट दिनांक 29/4/2019 को फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट किया गया और 3 मई, 2019 को दुबारा से इसी केस को लिस्ट किया गया। जब यह केस लिस्ट हुआ तो इसमें permission is granted to undertake above projects including community centres. कम्युनिटी सेंटर्ज को भी जिन्हें पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने बैन किया हुआ था, उन्होंने फिर से उसको अलाऊ किया और एफ0सी0ए0 भी अलाऊ किया। पहले एफ0सी0ए0 मना किया था लेकिन एफ0सी0ए0 भी अलाऊ किया except for stone crushers जब बात एफ0आर0ए0 और एफ0सी0ए0 की आती है तो स्टे सिर्फ 1 अप्रैल, 2019 तक था। It was till next date. जो कि मंत्री जी आपने अभी पढ़कर स्वयं ही सुनाया है। (..घण्टी..) अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं सरकार से सिर्फ यही चाहता हूं कि अपना पक्ष अच्छे से रखें और तोड़-मरोड़कर न रखें। मुझे लगता है कि कई जगह ऐसा हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जो एफ0आर0ए0 के अंदर परमिशन नहीं देना चाहते हैं लेकिन that is not fair. क्योंकि इस वजह से हमारी विकास की सारी-की-सारी गतिविधियां रुक गई हैं। यह एक बहुत ही अच्छा एक्ट यू0पी0ए0 सरकार लेकर आई थी, जिसके ज़रिये हरेक आदमी ने अपने गांव में विकास करवाया है। मैं यही चाहता हूं कि जो सैक्शन 3(1) है, जिसके अंदर आपने individual and community rights भी देने थे और मैं श्रीमती आशा कुमारी जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन्होंने 50 से ऊपर केसिज किए लेकिन आज की सरकार के समय में, इन दो सालों में एक भी केस नहीं हुआ है। इसको भी हम परस्यू करें। हमने सैक्शन 3(2) तो विकासात्मक

गतिविधियों के लिए लेना ही है लेकिन सैक्शन 3(1) को भी करें। मैं इतनी ही बात सदन के ध्यान में लाना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे आशीष बुटेल जी ने भी इस बात को रखा।। totally agree with what Ashish was trying to say. मुद्दा यह है कि आज जो वन विभाग का माहौल बन गया है, वह विकास के प्रति बहुत एलर्जिक है। हमारे एरिया में सबसे ज्यादा चम्बा और भरमौर बैल्ट के ट्राइबल लोग आकर बस रहे हैं और वे आज से वहां सैटल नहीं हो रहे हैं बल्कि पिछले कई वर्षों से सैटल हो रहे हैं। पहले जहां 10 घर यहां आए थे, अब वे 200 घर बन गए हैं और 200 घर के 300 घर बन गए हैं। अब वहां पर यदि कहीं से लिंक रोड जोड़ना है और उसमें कोई पेड़ नहीं आता है, फॉरैस्ट तो दूर रहा but only point the Forest Department has that this is a forest road. यहां तो वन विभाग का एरिया लगता है इसलिए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप यहां पर काम नहीं कर सकते हैं। एक अपंग गरीब आदमी की अपनी जगह है क्योंकि उसको 5 मरले सरकारी ज़मीन एलॉट हुई है। क्योंकि वह अपंग है और उसकी पत्नी पैरालाइसिज की मरीज़ है तो यदि वह घर के आगे छोटा सा गड्ढा भी बाहर निकालना है तो गार्ड आकर उसके ऊपर केस कर देता है। यह वन विभाग का टॉर्चर जो आज एक गरीब आदमी के ऊपर और विकास के ऊपर हो रहा है, how is this to be checked? आज जो विषय माननीय सदस्य जीत राम कटवाल जी लेकर आए हैं वह यह है कि आज एक किस्म की बदमाशी वन विभाग की बन गई है कि कोई भी काम करने लगो तो उसमें वन विभाग का नाम ले लेते हैं। आज सुबह एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पेड़ नहीं कट रहे हैं जबकि सड़कों की एप्रूवल आई हुई है। But there is nobody who is allowed to cut those trees. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज इस गैर सरकारी सदस्य दिवस के संकल्प के माध्यम से हम सरकार तक अपनी यह बात रखना चाहते हैं कि इस वजह से आज हमारे सारे विकास के काम रुके हुए हैं और जैसे आप यहां कोर्ट के केस को प्रैजेंट कर रहे हैं। We also know that. We agree with that. But the Government doesn't seem to be agreeing with that. Neither the officers seem to be agreeing with that. नीचे के अधिकारियों का

हाल इतना नकारात्मक है, स्पैशली वन विभाग के अधिकारियों का हाल कि वे किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव नहीं हैं। अब हिमाचल में 67 परसेंट लैण्ड तो फॉरैस्ट एरिया में आ गई है जबकि यहां जनसंख्या बढ़ रही है और 70 लाख तक पहुंच गई है और आगे भी बढ़ेगी Where will we expand? उद्योग कहां से लेकर आएंगे, इण्डस्ट्रियल जोन्ज कैसे विकसित करेंगे क्योंकि हर जगह वन विभाग आ जाता है। फॉरैस्ट से एक परमिशन लेने में कई साल लग जाते हैं। How will be the development of Himachal Pradesh go further? कल को हमने नये स्टेडियम और नये ग्राउंड बनाने हैं और नये इण्डस्ट्रियल एरियाज विकसित करने हैं। Where have we to expand? There is no way we can expand. Everywhere we just try to touch something, "here it is forest". You can't go here. ये सब चीजें हम कैसे विकसित करेंगे क्योंकि वन विभाग का नकारात्मक रवैया है और यह रवैया आज का नहीं है बल्कि कई वर्षों से है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिछले डेढ़ वर्ष से इनका यह रवैया बना है। गार्ड से लेकर ऊपर तक बहुत बदमाशी है। किसी अमीर आदमी ने थोड़े ही फॉरैस्ट में जाकर अपनी लैट्रिन बनानी है या कोई कुटिया बनानी है या किसी ने अपनी छत डालनी है। एक गरीब आदमी वहां इंडल्ज होता है और उस गरीब आदमी को वहां इतनी बुरी तरह से दबकाया और डराया जाता है and so much of terror is created for that poor man कि वह आदमी कहीं जाने लायक नहीं रहता है और फिर आकर हमारे पास रोता है। जब हमारे पास आकर रोता है तो हम आगे जाकर लड़ते हैं और जब हम आगे लड़ते हैं तो विधान सभा से अच्छा प्लेटफॉर्म कहां होगा,

29.08.2019/1540/जेके/डीसी/1

जहां पर हम अपनी बात कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। Please convey my message to the Government and to the Forest Department that they should not become an obstacle in the path of progress of the Pardesh. They should be helpful and friendly and they must try to cooperate with the population. Thank you.

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी, कम समय में अपनी बात कहने के लिए आपका धन्यवाद। अब श्री रविन्द्र कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह (जयसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। कुछ कानूनी पहलुओं पर भी बात हुई। कुछ जो इम्पलीकेशन्ज़ इस एक्ट की हैं, उनकी भी बात हुई। लेकिन मुझे लगता है कि औचित्य एफ.आर.ए. और एफ.सी.ए. का जो था, वह पर्यावरण संरक्षण का था। प्रयास यह हुआ कि जो हमारे रिर्सोसिज़ हैं, कम-से-कम उनका ऑप्टिमल युटिलाइजेशन हो। लेकिन यह भी सही है कि इन दो एक्ट्स में विकास को ठप्प करके रख दिया। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरे वहां 10.02.2018 को एक एफ.आर.ए. केस बना है। मार्च महीने में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसिज़न आता है तो एक बहाने के साथ उस फाइल को रिजैक्ट कर दिया जाता है कि अब इस पर कम्पलीट बैन है। दिनांक 10.02.2018 से लेकर मार्च, 2019 तक एक साल के अन्दर-अन्दर यह विभाग निर्णय नहीं कर पाता है। एफ.आर.ए. के अन्दर ही एक रोड़ बनना है, जहां पर लगभग 35 चील के पेड़ कटने थे। सात महीने पहले निर्णय हो चुका है, लेकिन वन विभाग आज दिन तक उन पेड़ों को काटने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाया है। मुझे यह लगता है कि जहां हिमाचल के लोग अपने जल, जमीन और जंगल के प्रति सजग हैं, पर्यावरण के प्रति सजग हैं, ऐसा तो नहीं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को सज़ा के तौर पर ऐसे एक्ट के माध्यम से कुछ भुगतना पड़ रहा हो? मेरा आपसे अनुरोध है और मैं भी श्री राकेश पठानिया जी के शब्दों में अपने शब्दों को डालता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इस पर जल्दी-से-जल्दी कोई फैसला लें, ठोस फैसला लें ताकि जो रुके हुए विकास के काम हैं, उनमें तेज़ी लाई जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी। प्लीज इसी तरह कम-से-कम बोलें।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती । मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने जनहित के मसले में अपनी व्यवस्था दी है। मैं समझती हूं कि इस हाउस में कई वर्ष हो गए लेकिन आपकी यह एक ऐतिहासिक व्यवस्था है। आपने इस चर्चा को अलाउ किया। माननीय संसदीय मंत्री जी

आपके पहले वाले टाइम में भी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई। शायद आज तक कभी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इसके लिए बधाई और मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती हूं। जो-जो बातें यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने कहीं, उनमें अपने आपको शामिल करती हूं। हालांकि मंत्री जी जो ज़वाब दे रहे हैं he is not the Minister of the Forest but we are fortunate that he is eminent lawyer. हम आपके माध्यम से इनसे दो-तीन बातें सिर्फ क्लैरिफिकेशन के तौर पर पूछ रहे हैं, आपने अभी तक सुबह के प्रश्नों के रिप्लाई में जो श्री आशीष बुटेल जी का प्रश्न था, उनके रिप्लाई में भी आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रैफर किया, वह फर्स्ट ऑर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि in any case ये जो केस था। This case, Godavarman Thirumulpad Versus Union of India, it was with regard to silviculture felling. उसमें सिल्वीकल्चर फैलिंग में कमेटी बनी, उस कमेटी ने उसमें एफ.आर.ए. की रिकमेंडेशन दे दी। वहां से FRA/FCA came under the purview of the petition.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप इसको बोलिए कि उसमें एफ.आर.ए. का तड़का लगा दिया।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें उन्होंने एफ.आर.ए. को मैंशन कर दिया, तड़का लगा दिया। अब बात यह है कि उस तड़के के बाद जो आशीष बुटेल जी ने पढ़ कर सुनाया, दो ऑर्डर्ज़ और हुए। उनके तहत एफ.आर.ए. व एफ.सी.ए. दोनो उसके प्रीव्यू से, एफ.सी.ए. तो वैसे ही उसके प्रीव्यू में नहीं आता because FCA is Forest Conservation Act of India of 1980. The entire Country is controlled by FCA. एफ.आर.ए. के जो 13 प्वाइंट्स थे, उसमें 11 को पहले और एक को बाद में, कम्युनिटी सेन्टर्ज़,

29.08.2019/1545/SS-DC/1

क्योंकि कम्युनिटी सैंटर्ज़ के बारे में उन्होंने कुछ तर्क कमेटी ऐसी दी कि कम्युनिटी सैंटर्ज़ के नाम पर स्टेट गवर्नमैंट कुछ और-और बना लेती है। परन्तु बाद में वह भी अलाऊ हो गया। Under the present circumstances, actually the stay of the Hon'ble Supreme Court is applicable on FRA today and that is the only thing which is

needed to be clarified. According to what we have on record, there is no such stay. There cannot be a stay on FCA because if FCA is stayed by Hon'ble Court then Forest Conservation Act of 1980 in whole of the country will be stayed. FCA is not only applicable in Himachal Pradesh; it is Forest Conservation Act of India of 1980 which we follow. Sir, of course Hon'ble Minister is answering on behalf of Forest Minister but I only want him to answer as a Advocate also that as pointed out by Sh. Ashish Butail Ji and others, kindly clarify that once the orders are passed then what is the present situation? Rest everything is covered under that because the Forest Department is using it as disguise and as a stick to stop all works. यह जो माननीय सदस्य, चम्बा वाले कह रहे थे कि पेड़ न काटने के लिए उनका बहाना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, जिसकी चर्चा आपने की। परन्तु अब ऐसा स्टे नहीं है, सिर्फ इतना आप क्लैरीफाई कर दें तो यह सारा इशु क्लीयर हो जायेगा, धन्यवाद।

अध्यक्षः धन्यवाद जी। अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, समय लिमिट थोड़ी-थोड़ी है।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी): अध्यक्ष जी, आपने एफ0सी0ए0/ एफ0आर0ए0 संबंधित संकल्प पर चर्चा करने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

मेरे से पूर्ववक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपने विचार रखे। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि अब एफ0आर0ए0 में स्टे हुआ है। उसमें सरकार की गाइडलाइन्ज़ स्पैसिफिक हैं। उसके अनुसार सबसे पहले डिमार्केशन लेंगे। डिमार्केशन के पश्चात् गांव की सब-कमेटी प्रस्ताव डालेगी। उसके बाद फॉरैस्ट का आर0ओ0 उनको एक सर्टिफिकेट देगा। डी0एफ0ओ0 के ऑफिस में जा करके अगर 75 दरख्त हैं और 26 कनाल/1 हैक्टेयर जमीन है तो उसके लिए डी0एफ0ओ0 स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन अब कोर्ट का स्टे लग गया। तो इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि पहले ये सारे मसले केन्द्र सरकार में जाते थे। अब यह कार्यालय देहरादून में खुल चुका है। हमारे लोग भी वहां पर डैपुटेशन पर गए हैं। एफ0सी0ए0 के जितने भी केस होते हैं मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह टाइम बाऊंड किया जाए और टाइम बाऊंड करके दो या तीन महीने में

क्लीयरैंस मिलनी चाहिए। यहां पर बिजली के प्रोजैक्टों की कई फाइलें धूल चाट रही हैं। हमारे पास अन-स्पैंट मनी पड़ी हुई है और काम नहीं हो रहे हैं। ज्यादा लम्बी बात न करके मेरी गुजारिश इतनी है कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सम्पर्क करके इसके बारे में टॉप प्रायोरिटी पर डिसीजन करवाए वरना ये सारे-के-सारे पैसे अन-स्पैंट पड़े रहेंगे। अगर पंचायत के पास पैसे गए हैं तो उसका निष्पादन वे करवाते हैं। अगर पी0डब्ल्यू0डी0 के पास पैसे गए हैं तो वे उसका निष्पादन करवाते हैं। इसमें अगर हमारे अधिकारी सम्पर्क रखेंगे और ठीक से अपने केस को प्लीड करेंगे तो जल्दी परमिशन मिलेगी। मुझे लगता है कि यहां पर सम्पर्क अधिकारी भी रखा हुआ है। नीचे से जो केस बन कर आते हैं वे उसे पर्स्यू करते हैं और उसका डिसीजन आजकल देहरादून में हो रहा है। वहां पर हमारे भी अधिकारी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं यह कहूंगा कि केन्द्र सरकार या एडवोकेट जनरल जो भी है उनके साथ इस बात को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए ताकि हमें सैंक्शन मिले।

29.08.2019/1550/केएस/एचके/1

वरना हमारे पंचायत घर में, मेरे चुनाव क्षेत्र में पौने दो साल से ताला लगा हुआ है। वह फोरैस्ट लैंड पर बना हुआ है। वह भी पब्लिक इंट्रस्ट में बना है लेकिन पौने दो साल से वहां पर ताला लगा हुआ है। अब ऐसे इलिगल काम तो वे भी नहीं कर सकते । अगर हम उनको स्ट्रैस करेंगें तो they will do everything systematically and as per rule. इतना कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी। सिंघा जी, कृपया जल्दी से अपनी बात कहें, आप तो वैसे भी जल्दी बोलते हैं।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आपने अनुमति दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे सत्ता पक्ष माफ़ करें, सुबह हमने एक कानून जो वर्ष 2011 में था, वह आज पारित किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पूरी व्यवस्था का पोलिटिकल विंग है, उसको दिशा प्रशासनिक विंग दे रहा है और करैक्टली नहीं दे रहा है। मैं आशीष बुटेल जी से बिल्कुल सहमत हूं, three orders were

passed by the Hon'ble Supreme Court on 11th March, 2019, 15th April, 2019 & 29th April वाला 3 मई को आया and that is categorically very clear कोई प्रतिबन्ध कहीं नहीं है। समस्या केवल यह है कि हमारा वन विभाग कार्य नहीं करना चाहता और दुर्भाग्य से हम वन विभाग से काम लेने में सक्षम नहीं है that is the whole truth. इसीलिए उन्होंने कार्य रोक दिए हैं। ऑर्डर बहुत ही क्लीयर कहता है whatever is give there everything has been approved , apart from stone crusher जो आशीष जी ने कहा और एक पासिंग रैफरेंस बाद में दे दिया "जो हम काम कर रहे हैं।" माइनिंग का काम धड़ल्ले से चला हुआ है। जो काम चल रहे थे, ध्वाला जी, वे चल नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपके साथ हूं। ऐसा काम किया जाए जिससे यह दिशा ठीक हो, इतनी बात मैंने कहनी है और इसलिए सरकार इस बात को गम्भीरता से ले. Give direction to the administrative wing and don't take wrong direction from the administrative wing. इतना कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्षः श्री जगत सिंह नेगी जी। नेगी जी, कृपया आप भी थोड़ा जल्दी अपनी बात कहें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि नियम-101 के तहत जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, माननीय मंत्री जी ने, सरकार ने जिसको न आने देने की पूरी कोशिश की ।

अध्यक्षः नहीं, उनका यह मतलब नहीं था। उन्होंने तो लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू दिया।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश की। ...(व्यवधान)... ये कह रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। अभी मेरे साथियों ने आपको पूरा बता दिया। ...(व्यवधान)... मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा हूं। आपकी सरकार काम नहीं करना चाहती, सड़कें नहीं बनाना चाहती। आप स्कूल की बिल्डिंग्ज़ नहीं बनाना चाहते। यह बहाना बनाकर आपने इतने दिन मार्च से ले कर अगस्त तक कोई भी काम नहीं होने दिया और यह हमारा आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है । इस

आरोप से आप बच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि सभी विधायकों ने सड़कों के लिए अपनी-अपनी एम.एल.ए. प्रायोरिटी दी हुई है। जब तक डी.पी.आर्ज़. नहीं बनेंगी, हमारे नाबार्ड से पैसा सेंक्शन नहीं होगा। ये सड़कें कब बनेंगी? आपका विभाग आपको गुमराह कर रहा है या आप हमें जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं ? हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य भी गुमराह हो रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है। स्टे कहां लगा हुआ है? स्टे तो वेकेट हो गया है। हमने एक पी.आई.एल. आपकी पिछली सरकार के समय, वर्ष 2012 में हिमाचल हाई कोर्ट में दी थी जिसमें रमेश कुमार वर्सिज़ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में दो हजार सड़कों का ब्यौरा आया और उसमें आपको डायरैक्शन दी गई है कि डी.पी.आर. तुरंत बनाई जाए, उसके बावजूद आप डी.पी.आर्ज़. नहीं बना रहे हैं और आज जो यह मुद्दा है यह बहुत ही महत्व का है और तुरंत आज ही आपको ऑर्डर करने होंगे कि सभी डी.एफ.ओज़. तुरंत डी.पी.आर्ज़. बनाने में जुट जाएं । जहां-जहां डी.पी.आर. बनी हुई हैं, उनमें काम करने दिया जाए।

29.8.2019/1555/av/hk/1

ये जो बिल्डिंग्ज या रोड नहीं बन रहे हैं इससे पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी कार्य एक साल लेट हो जाये तो उसमें कॉस्ट एस्केलेट होने की वजह से आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठेकेदार तो ताक में बैठे होते हैं और वे बाद में आर्बिट्रेशन में चले जायेंगे और फिर आर्बिट्रेशन में पब्लिक का उनको लाखों रुपया मिल जायेगा। हमें इससे छूटना है और इस किस्म से गुमराह करना बंद करके आप सही काम करने की कोशिश करें, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। मेरा इसमें एक छोटा-सा निवेदन है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय की इसमें कोई डायरैक्शन हो। अगर कोई डायरैक्शन है तो भी सरकार हिमाचल के हित में बहुत संजीदा होकर इस केस को लड़े और इसको जल्दी लागू करवाएं। इतना आग्रह करते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल द्वारा जो संकल्प यहां पर लाया गया है मैं इसको पढ़ने की बजाय सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसमें एक ऐसी स्थिति पर यह सदन विचार करे जो प्रदेश में एफ0सी0ए0 और एफ0आर0ए0 के केसिज के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क्स बंद हो गये हैं। इस चर्चा में माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री आशीष बुटेल, राकेश पठानिया, रविन्द्र कुमार, राकेश सिंघा और हमारे फाज़िल दोस्त माननीय पूर्व उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी जी ने भाग लिया। इन्होंने बड़े संक्षेप में अपनी-अपनी बात कही है और मैं इनकी इंटैंशन्ज से सहमत हूं तथा इन सबकी कद्र करता हूं। इन सारी चीजों के कारण बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स रुक जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसे माननीय जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे, इनको भी मालूम है। इस सदन का नियम है कि हम सबजुडिस मैटर पर चर्चा नहीं करेंगे और उसको प्वाईंट आउट करना मेरा कर्तव्य है। स्टे ऑर्डर जो मैंने पहले कहा था वह आज भी लागू है और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी कनफ्यूज्ड नहीं हूं। यह ठीक है कि उसके बाद दिनांक 11.4 2019 को केस लगा। फिर दिनांक 15.4.2019, 29.4.2019, 3.5.2019 और उसके पश्चात् शायद दिनांक 19.6.2019 को विभिन्न कारणों से यह केस लगा है। हमने इसमें एक और इंटरलोक्युट्री एप्लिकेशन भी डाली है शायद उसके कारण भी यह केस लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक केसिज में ऑर्डर भी किए हैं कि जिसमें पहले ही दिनांक 11.3.2019 जब यह स्टे ऑर्डर हुआ था उस वक्त तक अप्रूवल मिल चुकी थी उनको ऐक्सैप्ट कर दिया जाए। आपने जो 13 में से दो केस बताए थे उनमें 11 मामलों में छूट मिल गई। ऐसे स्पेसिफिक केसिज जो और भी एप्लिकेशन्ज गई हैं उन्होंने उसमें अलाउ किए हैं। दो केसिज तो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट्स के आपके चम्बा जिले के हैं। उन दोनों में वहां पर एप्लिकेशन गईं क्योंकि वे हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट थे जो कि पहले ही सैंक्शन्ड थे। जिसमें एक 300 मेगावाट का दीयोथल चांजू प्रोजैक्ट है और दूसरा चांजू-॥ । 48 मेगावाट का है।

इसमें स्पेसिफिकली ऑर्डर हुए हैं और इनको अलौ किया है। लेकिन बाकी केस-टू-केस लड़े जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत संजीदा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है। हमने सिल्वीकल्चर फैलिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी और फिर उस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में विज़िट किया। उसके पश्चात् जनवरी, 2018 में तीन स्थानों पर अलग-अलग सब-डिवीजन में सिल्वीकल्चर फैलिंग करने की इजाज़त मिली। यह परमिशन नूरपुर में खैर के लिए और अन्य दो स्थानों में अलग-अलग पेड़ों के लिए मिली। एक सदस्य श्री तुषार मोहन जो पूर्व में चीफ़ कंजर्वेटर रहे हैं और एक सदस्य को वाइस चांसलर नौणी ने अप्वाइंट करना था। उनकी कमेटी बनाई गई। उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट दी, उसके बाद दिनांक 11.03.2019 को इसकी अप्रूव्ल मिल गई और फैलिंग के ऑर्डर होने शेष थे, लेकिन वे रुक गये। सरकार चाहती है कि इसके आर्डर हो, क्योंकि सरकार के काम बन्द हो गये हैं। जो स्कूलों के काम है या जो दूसरे डवलपमैंटल व़र्कस हैं, उनको रोक दिया गया है, इसलिए सरकार ने पूरी तरह से परसुएड करके केस को लड़ा। वन विभाग पूरी संजीदगी के साथ इस केस को प्रेजेंट कर रहा है। यदि माननीय सदस्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाते और वहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो हलफिया बयान दायर किये गये हैं, जिन्हें रिप्लाई कहा जाता है, उनको पढ़ते तो आपको स्वयं मालूम हो जाता कि यह सरकार इस केस में कितनी उत्सुक है? सरकार ने हिन्दुस्तान के सोलीसिटर जनरल श्री तोषार महेता को इस केस में वकील बनाया है। इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य यह समझे कि वही हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखते हैं और सरकार को इसकी चिंता नहीं है तो यह कहना गलत होगा। वन विभाग के कुछ कर्मठ अधिकारी पूरी तरह से इसी केस में लगे हुए हैं। इसके कारण इनको भी प्रोब्लम आ रही है। जो एफ.आर.ए. 2006 है, उसमें कुछ और प्रोब्लम्ज़ हैं, उसका ज्यादा संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ है और जो एफ.सी. ए. है, उसका संबंध सारे देश के साथ है। लेकिन मैं कोर्ट का ज़िक्र नहीं करना चाहता हूं। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए, वह भी किसी कारण से हो जाता है। परन्तु उसको ठीक करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और आप सभी

माननीय सदस्यों की चिंता से सरकार अवगत है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब कोर्ट में यह केस लगता है तो माननीय वन मंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट में जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री तुषार मेहता के नेतृत्व में एक battery of advocates इस केस को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर रही है। सरकार की मंशा है कि हम अपने डवलपमैंटल कामों को आगे बढ़ायें। अगर हमारे डवलपमैंटल काम रुक जायेंगे तो आपको तो सीधा-सीधा फ़ायदा पहुंच जायेगा कि ये काम ही नहीं कर रहे हैं और आपको बोलने का मौका मिल जायेगा। यह सारे प्रदेश के हित में है और प्रदेश के हित में ही आदरणीय ठाकुर जय राम जी की सरकार काम कर रही है। इसलिए प्रदेश की जनता ने बहुत बड़े बहुमत के साथ ठाकुर जय राम जी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया है। उसके बाद जनता ने उस पर स्वीकृति की मोहर इस बार मई, 2019 में हुए लोक सभा के चुनाव में लगाई और सारे हिन्दुस्तान में 72 प्रतिशत वोट लेकर हिमाचल प्रदेश से चार सांसद चुनकर गये। उसके लिए हम प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश सरकार की संजीदगी है और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों में काम कर रही है।

29-08-2019/1605/NS/HK /1

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे माननीय सदस्यों ने श्री जीत राम कटवाल जी के नेतृत्व में अपना रेजोल्यूशन यहां पर रखा है और इसमें अपनी चिंता जाहिर की है, हम इस पर पूरी संजीदगी के साथ काम करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन्ज़ हों और इनको हटाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी उचित होगी, उसको करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास कार्य और निर्माण कार्य बंद न हों। मेरा, माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी से निवेदन है कि इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए वे संकल्प को वापिस ले लें क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की इंटेंशन एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जो कॉपी सिंघा जी ने दी है, उसमें भी वही बात है जो आपने बोली है। इस माननीय सदन में जो बात आई है, वह गलत नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य जीत राम कटवाल जी, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं?

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस संकल्प के ऊपर विभाग का जवाब दिया है और मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं। लेकिन मेरा इतना विरोध जरुर रहेगा कि यह मामला सिल्वीकल्चर फैलिंग का है और इस वज़ह से यह मॉनीटरिंग कमेटी आई है। इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रख कर इस केस को विद्ड्रॉ करें, तभी हमारा स्टेट्स एफ0आर0ए0 और एफ0सी0ए0 में बाकी प्रदेशों की तरह हो सकता है। हमारा एफ0आर0ए0 और एफ0सी0ए0 का मामला इसी वज़ह से अड़ा हुआ है। मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए, यदि हां?

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सुख राम जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हजारों हैक्टेयर खाली पड़ी वन भूमि पर एक मुश्त कार्य योजनावार पौधारोपण की नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हजारों हैक्टेयर खाली पड़ी वन भूमि पर एक मुश्त कार्य योजनावार पौधारोपण की नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।"

यह विषय कम-से-कम समय में निकले ताकि अगला विषय भी इंट्रोड्यूस हो सके। इसके लिए माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। अब माननीय सुख राम जी अपना विषय रखें।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 37,948 वर्ग किलोमीटर फोरेस्ट एरिया है, जो कुल क्षेत्रफल का 67.5 प्रतिशत बनता है। इसमें 27.5 प्रतिशत भूमि यानी 15,100 वर्ग किलोमीटर में फोरेस्ट है। 20 प्रतिशत क्षेत्र स्नो बाउंड और अल्पाइन पोस्चर एरिया है, जहां बहुत ज्यादा

ऊंचाई है और वहां पर वृक्षारोपण नहीं हो सकता है। 5 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है, जो नदी-नालों में हैं और वहां पर भी पौधारोपण नहीं हो सकता है। इसके अलावा 22.50 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जिस पर पौधारोपण करके वृक्षाच्छादित करने की आवश्यकता है। हमने इस बार 70वां वन महोत्सव मनाया है और लगभग 56 लाख पौधारोपण किया है। अगर इसी रफ्तार से हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण होता रहा तो जो 22.50 प्रतिशत भूमि बची हुई है, इस पर पूरा पौधारोपण करने में 100 वर्ष और लग जाएंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए वर्किंग प्लान बनाया जाए। 5 या 7 वर्ष का वर्किंग प्लान बना कर पौधारोपण करने की योजना बनाएं। प्लांटेशन के साथ-साथ नैसर्गिक रूप से पनपने वाले फलदार पौधों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

29.08.2019/1610/RKS/AG-1

(सभापति महोदय पदासीन हुए)

जैस आम, जामुन, कैंथ, जंगली अंजीर, आड़ू, आंवला, गूलर, बैर, हरड़, बहेड़ा, किन्नु, अमरूद गुठलीदार बीज वाले पौधे हैं। इनकी गुठलियां और पौधे एकत्रित करके सीजन के दौरान खाली स्थानों पर फैंकवाई जाएं और कांटेदार तार लगाकर उस एरिया को कवर किया जाए। जब वन विभाग द्वारा पौधरोपण किया जाता है तो कच्चे तने काटकर कांटेदार तार लगाई जाती है। उस तने को दीमक खा जाती है और वह एक साल के भीतर ही डैमेज़ हो जाता है। इसलिए यह तार लोहे या सीमेंट के पिल्लरों में लगाई जाए। गुठलीदार पौधरोपण क्या है? मैं आपको इसके वर्किंग प्लान की थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूंगा। इसके लिए आपको सीज़न से पहले आम, जामुन या अन्य चीजों के बीज इक्ट्ठे करने होते हैं। एक डिवीज़न में दो-तीन रेंज होती हैं, जिसकी सबसे छोटी इकाई बीट है। इस बीट में 10-11 कंपार्टमैंट होते हैं जिनमें एक फोरैस्ट गार्ड काम करता है। यदि हम वर्किंग प्लान में यह योजना बनाएं कि कौन-सा क्षेत्र खाली है और वहां पर किस तरह का पौधरोपण किया जा सकता है तो हम काफी क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। क्या वहां पर गुठलीदार पौधरोपण किया जा सकता है या नहीं इसकी समय से पहले तैयारी करके यह प्लान तैयार किया जा सकता है। 10-12 कंपार्टमैंट में कम-से-कम तीन चार गांव आते हैं, जिनके वहां

पर फोरैस्ट राइट हैं। इन कंपार्टमैंट्स के अधीन दो-तीन महिला मंडल, दो-तीन वन समितियां और नवयुवक मंडल आते हैं। यदि पौधरोपण के लिए पंचायती राज, एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर विभाग को भी शामिल कर दिया जाए तो मैं इस सदन में विश्वास से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बचा हुआ साढ़े बाईस प्रतिशत क्षेत्र सात साल में कवर किया जा सकता है। इसलिए यह काम हमें वन समितियों को सौंपना चाहिए। इन कंपार्टमैंट्स में महिला मंडल, वन समितियां, नगरपालिकाएं, नगर पंचायतें, नगर परिषदें, पंचायतें और स्कूल के बच्चों को शामिल किया जाए तो यह पौधरोपण पूरे प्रदेश में आसानी से किया जा सकता है। वर्किंग प्लान के अनुसार जो पहली बार प्लांटेशन होगी उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के बाद जो खाली क्षेत्र बच गया है उसमें मैंटिनैंसके अंतर्गत पेड़ लगाए जाएं या गुठलीदार बीज फैंके जाएं ताकि यह काम आसानी से किया जा सके। मैं इस माननीय सदन में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय शांता कुमार जी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने वन विभाग के अधिनियम-1952 की धारा 41-42 में संशोधन करके यह कानून बनाया था कि जिस भी गाड़ी में अवैध रूप से लकड़ी ढुलान करती पाई गई, उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।

29.08.2019/1615/बी0एस0/ए0जी0-1

और उस गाड़ी का केस डी.एफ.ओ. के कोर्ट में चलता है, जब डी.एफ.ओ. के कोर्ट में फैसला होता है उस फैसले के बाद जो गाड़ी बाउंड होती है वह सरकारी संपत्ति बन जाती है। यह बहुत बड़ा एक्ट आने के बाद और संशोधन होने के बाद जो वन माफिया हैं उनके ऊपर अंकुश लगता था, इसलिए इस एक्ट की वजह से वन विभाग को ताकत मिली है। मैं इसमें एक संशोधन भी चाहता हूं कि जो पुलिस विभाग अवैध कार्यों में गाड़ियां पकड़ता है उसमें भी समय की पाबंदी होनी चाहिए। यदि पुलिस ने अवैध लकड़ी को ले जाती हुए गाड़ी को पकड़ा है तो उसे उसी तरह से 24 घंटे के अंदर डी0एफ0ओ0 के कोर्ट में पहुंचाया जाना चाहिए जिस तरह किसी अन्य अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है। अकसर होता क्या है कि यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है और चालक के पास कोई

कागज़ नहीं होता तो विभाग उन्हें झूठे कागज बनवाने की छूट दे देता है। वे इधर-उधर से कागज़ बनवाकर कार्यालय में जमा करवा देते हैं ताकि उनकी गाड़ी बाउंड होने से बच सके। मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हम कहते हैं "जल ही जीवन है" मैं तो कहता हूं कि "वन ही जीवन है" आज जो जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं जब हम इस तरह से पेड़ लगाएंगे तो वे जंगलों में ही रुक जाएंगे, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगली जानवरों को पीने का पानी मिले, इस कार्य को पूरा करने के लिए कम-से-कम एक बीट में जहां पर वन रक्षक होता है वहां एक तालाब को बनवाया जाए। उसकी डी0पी0आर0 करवाई जाए। यह तालाब 20-25 बीघा जमीन देकर तैयार किया जाए। वहां हमेशा पानी रहना चाहिए। जंगली जानवरों को इससे पीने के लिए पानी मिल जाएगा।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुख राम : माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो मैंने यहां पर बिंदु रखे हैं उन पर माननीय मंत्री जी अवश्य गौर करेंगे। आज जिस धीमी गति से पौधारोपण हो रहा है इस गति से 100 वर्ष लग जाएंगे।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

हिमाचल प्रदेश का वन विभाग का एरिया बढ़े, वनों का घनत्व बढ़े, इसलिए मैं जो नियम-101 के अंतर्गत संकल्प लाया हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हज़ारों हैक्टेयर खाली पड़ी वन भूमि पर योजनावार एक मुश्त पौधारोपण की नीति बनाने पर विचार करे" ताकि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चंद वर्षों में पूरी वन भूमि में पौधारोपण हो सके, जय हिन्द ।

अध्यक्ष : अब इस संकल्प पर माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सुख राम चौधरी जी ने खाली पड़ी वन भूमि पर पौधारोपण के लिए जो संकल्प लाया है इस पर मुझे आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 67 प्रतिशत वन भूमि है और इस 67 प्रतिशत वन भूमि में लगभग 27 प्रतिशत भूमि पर वन लगे हैं बाकी सारी-की-सारी भूमि बैरन पड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी 27 प्रतिशत भूमि पर पेड़ लगे हैं उसमें भी डैंस फोरैस्ट है वह सिर्फ 16 प्रतिशत है और बाकी भूमि में जंगल हैं परंतु वह बहुत ही कम हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि पिछली सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में पुरजोर प्रयास किए हैं

29.08.2019/1620/डी0टी0/डी0सी0-1

कि हमारा फोरेस्ट कवर्ड एरिया हिमाचल प्रदेश में बढ़े। इसमें हमें सफलता भी मिली है। पिछली इंडियन फोरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अनुसार हमारे हिमाचल प्रदेश का फोरेस्ट कवर्ड एरिया 0.7 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करें हमारा प्रदेश आठवां नंबर आता है। देश का फोरेस्ट एरिया लगभग 6778 वर्ग किलोमीटर का बढ़ा है और हिमाचल प्रदेश का इसमें 393 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है। इसमें हमारी सरकारों का लक्ष्य 50 प्रतिशत कवर करने का है। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री और वन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पौधारोपण को युद्ध स्तर पर चलाया है। अभी जो सीजन चला है उसमें लगभग 26 लाख पौधे लागाए गए हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि हर साल हम करोड़ों रुपये खर्च करके फोरेस्ट एरिया कवर करने के लिए पौधे लगाते हैं। पौधे तो हमने 26 लाख लगा दिए परंतु जब छह महीने के बाद हम उनका निरिक्षण करने के लिए जाएंगे तो उन में से बहुत कम पौधे होंगे जो वहां पर दिखेंगे बाकी वहां पर नजर नहीं आते हैं। मेरा यह सुझाव है कि जैसे हम करोड़ों रुपये प्लांटेशन के लिए खर्च कर रहे हैं परंतु उनके रख-रखाव के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते है। हम एक बार पौधे लगाते हैं

और बाद में उनकी गिनती करना शुरू कर देते हैं। मेरा यह सुझाव रहेगा कि जितना पैसा इन पौधों को लगताने के लिए खर्च करते हैं उसमें से कुछ पैसा इनके रख-रखाव के लिए भी बचा के रखें तो इससे काफी फायदा होगा। कम-से-कम एक वर्ष तक टैंपरेरी लेबर लगाकर यदि एक वर्ष तक इन पौधों को सर्वाइव करें तो हमारा सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ जो हमारा सबट्रॉपिकल एरिया है, आपने देखा होगा कि जब हमरा गर्मियों का मौसम आता है तो बहुत से जंगल जल जाते हैं, जो हम नई प्लांटेशन लगाते हैं वह तो बचती ही नहीं है बल्कि पुरानी भी सारी-की-सारी जल जाती है। मेरा माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है, वैसे सरकार इसमें बहुत प्रयास कर रही है फिर भी प्रयास यह होना चाहिए कि जंगलो में आग न लगे, इस पर अधिक ध्यान दिया जाए। आग से जंगलों को बचाने के लिए हमें अधिक सफलता नहीं मिली है। मेरा यह सुझाव है कि जितने भी हमारे चीड़ के वृक्ष हैं उनकी पत्तियां ही आग का करण बनती हैं। इनको लेबर लगा करके इकट्ठा करवाया जाए और इनके आधारित कोई उद्योग लगाया जा सके तो वह सही रहेगा। इस तहर आग से जंगल बच सकते हैं। अभी अगर हमने 26 लाख जो प्लाटेंशन लगाई है मुझे नहीं लगता कि यह अगली साल लाखों की संख्या में लगे पौधे हजारों में बच सकें। हम जो करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं इसमें मैं समझता हूं कि इसमें पौधों को लगाने की बजाय ज्यादा पैसा सर्वाइव करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री जवाहर ठाकुर (द्रंग): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी ने यहां पर वनों से संबंधित संकल्प लाया है उसमें इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने भी अपने सुझाव दिए हैं। मैं भी इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और वन मंत्री जी का कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है

तब से वनों के बारे में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बरसात से पहले ही पौधरोपण का कार्य शुरू हो रहा है।

29-08-2019/1625/डी.सी.-एन.जी./1

मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी पहल है। वृक्षों को बरसात से पहले लगाने के कारण 80-90 प्रतिशत वृक्षों को सर्वाइव होने में मदद हो रही है। मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार का राज्य स्तरीय वन महोत्सव मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही हुआ है, वन परिक्षेत्र पनारसा में इसका आयोजन किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुरे प्रदेश का कार्यक्रम मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हम हर साल लाखों की संख्या में पौधे लगाते हैं, यह बात ठीक है कि जंगलों का आकार बढ़ा है और जो हमारे डी.पी.एफ. जंगल हैं उनका आकार बढ़ रहा है लेकिन साथ में गांव के पास में यू.पी.एफ. ऐरिया होता है, उन क्षेत्रों में भी पौधे व जंगल बढ़ रहे हैं। हमारे जंगल बढ़ने का कारण अच्छी बरसात होना और अच्छी बर्फ पड़ना भी है क्योंकि इनके कारण सबसे ज्यादा कुदरती पौधे लगते हैं। इनकी वजह से जितने पौधे लगते हैं वो हमारे द्वारा लगाए गए पौधों से तो कम होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ हमारे द्वारा लगाए गए पौधों से अधिक होती है। हर चीज के लिए अनुकूल वातावरण का होना अति आवश्यक है और यही कारण है कि अच्छे मौसम की वज़ह से जंगलों का आकार बढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल भी बढ़ रहे हैं, सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं, पंचायतें, महिला मंडल, युवा मंडल व अन्य सब लोग भी वनों को बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन खेद की बात है कि गर्मियों में जब सूखा पड़ता है और जब जंगलों में आग लगती है तो उसकी वज़ह से जो नुकसान होता है, वह नुकसान हज़ारों की संख्या में पैदा होने वाली कुदरती पैदावार का होता है। उसके बाद जंगलों में जो जीव-जन्तु होते हैं, उनका भी बहुत नुकसान होता है और इन सबकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है।

आज सबसे बड़ी चिन्ता है कि पेड़ लगाना और फिर उसे बचाना, मैं समझता हूं कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जंगलों में जो आग लग रही है उसके लिए हम इतने चिन्तित नहीं है क्योंकि हर बार आग लगती है और उसके बाद उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, न वन विभाग करता है, न कोई सरकारी संस्थान करते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसी टीम बननी चाहिए कि आग कहां लगी है, किस वन क्षेत्र में लगी है, वहां पर कौन वन अधिकारी है, वहां पर कौन-कौन से जिम्मेवार लोग हैं, इस सब पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और यह सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है फिर चाहे हम जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। यदि समय-समय पर बरसातें ठीक होती रहें, सर्दियां ठीक होती रहें और यदि आग न लगे तो हमारा प्रदेश इतना हरा-भरा हो सकता है जिसकी मैं तुलना भी नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जंगलों को लगाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए हमको सुनिश्चित करना होगा कि जब तक हम वहां के बर्तनदार जोकि स्थानीय लोग होते हैं, जिनका वहां के जंगलों में बर्तना होता है, उसके बाद वहां महिला मंडल होते हैं, युवा मंडल होते हैं, पंचायतों के लोग होते हैं, उन सब लोगों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। चाहे वो पौधे लगाने के मामले में हो, वनों में आग लगने की घटना में हो, हमें उन सब को मिलाकर एक जागरूकता अभियान के तौर पर काम करना चाहिए। इसके बाद चिन्ता इस बात की भी है कि हमारे प्रदेश में कुल 198 वन परिक्षेत्र हैं और हमारे 39 वन परिक्षेत्र संवेदनशील हैं।

29/08/2019/1630/RG/HK/1

प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा बैंक हमारे जंगल हैं। हमारा प्रदेश कर्जे में है लेकिन उससे उबरने के लिए हमारे पास सिर्फ जंगल ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन चिन्ता इस बात की है कि प्रदेश में हमारे जितने भी विभाग हैं, चाहे वह लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग आदि हैं, सबके पास अपनी-अपनी गाड़ियां हैं, वन विभाग के पास उसके अनुसार गाड़ियां नहीं हैं। । मैं समझता हूं कि जो हमारे वन हैं, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी हैं, मैं चाहता हूं कि वन परिक्षेत्रों में भी उसी तर्ज पर

गाड़ी होनी चाहिए ताकि जब वनों में आग लगे या अवैध कटान की बात हो या वनों में खनन की बात हो, तो हम ऐसी परिस्थिति में ज्यादा-से-ज्यादा वनों को बचा सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद यहां कुछ और बातें भी आई हैं। एफ.आर.ए. एवं एफ.सी.ए. के बारे में भी यहां बात की गई। सबसे बड़ी चिन्ता का विषय जो एफ.आर.ए. का मामला है, उसमें सबसे ज्यादा पीछे जो 6,000 फीट की ऊंचाई से 9000 फीट तक हम जैसे जो असली पहाड़ी हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, वे लोग हैं। नीचे के क्षेत्र का श्री ध्वाला को पता हो सकता है। क्योंकि हमारे यहां तो बारह महीने हरे-भरे जंगल रहते हैं। आज हमें इस बात की दिक्कत हो रही है कि जैसे आज हमें कोई सड़क बनवानी है, तो हमारे कई काम इनके कारण रुके हुए हैं। जिन गांवों में सड़क बननी है वहां सड़क नहीं बन पा रही है। हमारे यहां बहुत गंभीर बीमार लोगों को पीठ पर लादकर ले जाना पड़ता है। इसके बात पर भी हमें गौर करना चाहिए और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक और सुझाव भी देना चाहता हूं कि वनों को बढ़ाने के लिए वातावरण के अनुसार जो वन विभाग द्वारा नर्सरी लगाई जाती हैं कि दयार कहां अच्छा हो सकता है, रईतोश कहां अच्छे हो सकते हैं और निचले क्षेत्र में लगने वाले पौधे कहां अच्छे हो सकते हैं? उसको उसी वातावरण के हिसाब से उन नर्सरी को विकसित किया जाए ताकि अच्छी पौध हमें मिल सके और आने वाले समय में हम उनको लगा सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों का बहुत बड़ा भण्डार है और जड़ी-बूटियों को लगाने पर भी हमारी सरकार को बल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी वन बीटें हैं, बीटों के साथ-साथ एक-एक वन रक्षक लगाया जाना उचित है ताकि जब फॉरेस्ट गार्ड वन में जाते है, तो उसकी सेफ्टी के लिए वह हो और वहीं के स्थानीय बेरोजगार नौजवान को ही उसके साथ जोड़ा जाए ताकि जंगलों का बचाव किया जा सके। मैं यही कहना चाहता हूं कि पर्यावरण को हमारे वन ही बचा सकते हैं। यहां पहले कहा गया कि जंगल होंगे तो पानी भी होगा, जंगल और पानी हमारा जीवन है। इसलिए यहां जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सुख राम जी ने यहां जो गैर-सरकारी संकल्प सदन में लाया है, मैं अपनी आवाज़ को इनकी आवाज़ के साथ मिलना चाहता हूं। यह हकीक़त है कि जब तक इस पहलू को लेकर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में आवाम को

29/08/2019/1635/MS/HK/1

चेतनशील नहीं करेंगे, महज़ हम वन विभाग पर इस कार्य को छोडेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जंगलों का विकास नहीं बल्कि जंगल की जो इन्यूमरेशन है वह कम होगी। मुझे इतने तीखे शब्दों में कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन यह हकीकत है। वन विभाग न ही अपने जंगलों की रक्षा कर पा रहा है और न ही जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जंगलों का विस्तार होना चाहिए था, वह हुआ। इनके दो जो बहुत फेवरेट पेड़ हैं, उनमें एक चील और दूसरा यूकेलिप्टस का पेड़ है। मेरा यह मानना है कि यह इण्डीजिनियस स्पीशिज हिमाचल प्रदेश की नहीं है बल्कि न जाने कहां से इनको लाया गया है। जहां-जहां वन विभाग ने इन प्रजातियों का विकास वनीकरण के ज़रिये किया, वहां पर ज़मीन की तबाही हुई और सिर्फ तबाही ही नहीं हुई बल्कि जो आज जंगलों में आग लगती है उसका भी ये मुख्य कारण रहे हैं। इसलिए इन दो प्रजातियों को छोड़कर क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ तो वहां लगाए जाते हैं, जहां मार्शी लैण्ड हो। मैं नहीं समझता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी भूमि है जहां पर मार्शी लैण्ड हो और जहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ उस पानी को चूसने का काम कर सकता है। इस पेड़ को जिस भी स्थान पर लगाया गया है वहां इसने भूमि के अंदर के पानी को खत्म किया है। मेरा यह मानना है कि हमें जनता की भागीदारी के साथ आगे बढ़ना है और बगैर जनता की भागीदारी के हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनता को कैसे शामिल करना है वह एक विषय हो सकता है लेकिन स्कूल के बच्चों से लेकर ये जो हमारी अलग-अलग संस्थाएं जैसे महिला मण्डल और युवक मण्डल इत्यादि हैं, इन सबको शिक्षित करते हुए अगर हम इस कार्य को आगे ले जाएंगे तो हम हिमाचल प्रदेश में यह जो ग्रहण लग रहा है जिससे हमारा वातावरण तब्दील हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है कि प्राथमिकता के आधार पर एक कॉन्टीग्यूअस एरिया हमें आइडेंटिफाई करना है यानी

एक सटा हुआ क्षेत्र आईडेंटिफाई करना है। उस सटे हुए क्षेत्र में जो हमारे हिल टॉप्स हैं, उनको इसलिए प्राथमिकता देनी है कि जब हिल टॉप्स में हमारे वृक्ष लगेंगे, तभी उनसे प्रेसिपिटेशन होगी। उसके कारण ही जो हमारे पानी के स्रोत सूख गए हैं, वे रिवाइव किए जा सकते हैं यानी नये सिरे से उनको शुरू किया जा सकता है। अगर उस तरीके की योजना हम हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे तो आने वाला हिमाचल प्रदेश खुशहाल होगा और आने वाला हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर चल सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो यह समय-समय पर सूखे का दौर आ जाता है उससे भी हम बच सकते हैं। इसीलिए माननीय सदस्य सुख राम जी ने यह जो संकल्प लाया है, मैं इसमें अपनी आवाज को जोड़ता हूं।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम जंगल लगाते हैं तो जंगलों का जल्दी से विस्तार करने के लिए जो यह सिल्वीकल्चर का तौर-तरीका है, इससे मेरी असहमति है। जो आज न्यूजीलैण्ड में तौर-तरीका अख्तियार किया जाता है उसे मैं मानता हूं। हमें सिल्वीकल्चर के आधुनिक तौर-तरीके इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि इससे फिर रि-जनरेशन तेजी के साथ होता है। यहां तो सिल्वीकल्चर का जो तौर-तरीका है, वह ऐसा है कि जंगल में जो सबसे कमज़ोर पेड़ होता है उसको सिल्वीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जो वृक्ष बूढ़ा हो गया है उसके कटान को सिल्वीकल्चर के लिए इन्यूमरेट किया जाता है जबकि वह सही तरीका नहीं है।

29.08.2019/1640/जेके/वाईके/1

अगर हम न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस से जाएं, वह एक पूरा एरिया 20 हैक्टेयर का, 100 हैक्टेयर का आइडैंटिफाई करके, कम्पलीट फैलिंग करने के बाद फिर नए सिरे से पेड़ लगाया जाता है। वह पेड़ तेजी से लगता भी है, हैल्दी भी होता है और उसमें फास्ट रीजनरेशन भी होती है, ये तौर-तरीके होने चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय हमारे एक्सपर्ट हैं, इसमें वे सही शिक्षा देंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हिमाचल प्रदेश में तेज़ी के साथ फोरैस्ट कवर हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः इस विषय पर बोलने वालों की लम्बी सूची है। हमारे पास केवल 15 मिनट बचे हैं तो हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी अब इसमें अपना उत्तर दें, क्योंकि पांच बजे के बाद सैशन एक्सटैंड नहीं हो सकता । इसमें बाकी सदस्य, श्री रमेश ध्वाला जी, श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, श्री जीत राम कटवाल जी, श्री सुभाष ठाकुर जी से मेरा आग्रह है कि उनके द्वारा कहे हुए भाव भी इस संकल्प में शामिल हुए समझे जाते हैं। माननीय वन मंत्री के स्थान पर माननीय शिक्षा मंत्री जी आज की चर्चा का उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय,नियम 101 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुखराम जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर संकल्प लाया है। यह बहुत ही सामयिक संकल्प है जिसकी आज हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को आवश्यकता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सारी दुनिया पर जो असर हो रहा है, उसमें अधिक से अधिक हरियाली आए, अधिक से अधिक पेड़ लगे, यह आज की आवश्यकता है और हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीज़न जो प्राणी मात्र को प्राप्त होती है, वह पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ न हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का राज्य हो जाएगा। मानव का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी देवभूमि है। यहां पर किन्नर कैलाश है और हमारे सभी देवी-देवता अधिकांश जंगलों में ही रहा करते थे इसलिए इस हिमाच्छादित प्रदेश को जहां पर हरियाली होती है, उसको सात समन्दर पार से आए हुए हिन्दुस्तान पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों ने भी अपनी राजधानी के रूप में चुना। फोर्ट विलियम में राजधानी थी, सारे देश में अपनी इंगलैंड और लंदन की जलवायु के अनुरूप कौन सा स्थान हो सकता है, उसके लिए उन्होंने अलमोड़ा, मसूरी, नैनीताल आदि सभी स्थानों का भ्रमण किया और फिर शिमला हिल के दूर-दराज के जंगलों तक भी अंग्रेज गए । हिमाचल प्रदेश के जंगलों का जो सैटलमैंट भी हुआ है, वह अधिकांश उस समय के अंग्रेज वन और राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है। परन्तु यह हमारी सर्वाधिक बहुमूल्य धरोहर भी है और प्रदेश के समग्र और स्थायी विकास के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। हिमाचल प्रदेश में कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 67 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है।

लेकिन उसमें से 29 प्रतिशत जो हिस्सा है वह अल्पाइन चरागाह क्षेत्र, स्थाई हिमाच्छादित क्षेत्र व शीत मरूस्थल होने के कारण केवल 37 प्रतिशत क्षेत्र ही वन उगाने के लिए उपयुक्त है। हमारा जो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है, उसके द्वारा 2017 की राज्य वन रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार 15100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनावरण है जोकि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 27.12 प्रतिशत भाग है। इस वनावरण के अतिरिक्त 822 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से बाहर वृक्ष आच्छादित है। मतलब यह कि वन क्षेत्र नहीं है लेकिन उसमें भी वृक्ष हैं। ऐसा 822 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो कुल क्षेत्रफल का 8.47 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 से लेकर 2017 तक प्रदेश का वनावरण क्षेत्र 14353 वर्ग किलोमीटर से 15100 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अर्थात् हमारी 747 वर्ग किलोमीटर की वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पिछले काफी सालों से पौधारोपण की दृष्टि से वन विभाग द्वारा जो सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है उसके कारण यह वृद्धि हो पाई है। मैंने जो 2017 की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताई, उसके अनुसार हमारे अधिक घने वनों का क्षेत्रफल 3110 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वनों का क्षेत्रफल 6705 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन (Open Forest) का क्षेत्रफल 5285 वर्ग किलोमीटर है। हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि हमारे सारे जितने वन विहीन क्षेत्र हैं और कम घनत्व वाले खुले वन हैं उनको अधिक घनत्व वाले वनों में परिवर्तित करने के लिए अच्छे, उत्तम और अधिक मात्रा में पेड़ उगाने का कार्य करना है। देश के नीति आयोग ने भी एक सतत् विकास लक्ष्य तय किया है। उस लक्ष्य के अनुसार भी 2030 तक प्रदेश में 30 प्रतिशत भाग को वनों के अधीन लाया जायेगा। यह उस लक्ष्य में वर्णित है। जो 30 प्रतिशत लक्ष्य है वर्तमान में वह 27.12 प्रतिशत है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 2 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पौधारोपण का कार्यक्रम है इसमें भी वन विभाग द्वारा चार श्रेणियों में मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। एक तो खाली क्षेत्र पर किया जाना वाला पौधारोपण है। कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में पौधारोपण है। चरागाह सुधार है और जड़ी-बूटियों का पौधारोपण है। अभी तक जो हमारे संसाधन कैम्पा के अंतर्गत हैं या वित्त के अन्य साधन हैं उसके अनुसार केवल 9 हजार हैक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण किया जाता है।

लेकिन अगर हमको 2030 तक अपना 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमको यह लक्ष्य बढ़ा करके 9500 से अधिक 12000 हैक्टेयर तक करना पड़ेगा।

29.08.2019/1650/केएस/एजी/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों में जो-जो पौधे लगने चाहिए, उसके अनुसार पौधारोपण करता है और जो पौधारोपण किया जाता है, उसका पांच साल तक पूरा रख-रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय राकेश सिंघा द्वारा युकेलिप्टस की जो बात की गई, तो वह तो वन विभाग के द्वारा ज़ीरो है, हम वह नहीं लगाते। पौधरोपण के लिए माननीय सदस्य श्री सुखराम जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इसमें जन-जागरण अभियान और आम समाज को भी लगाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व जब वर्ष 2009 में हमारी सरकार थी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस वक्त वन मंत्री थे, उस समय पौध-रोपण के लिए विभिन्न एन.जी.ओज़. को साथ लिया गया था। उनको क्षेत्र बांटे थे, कुछ उन्होंने स्वयं भी चिन्हित किए थे। इस में बाकी एन.जी.ओज़. ने कार्य किया या नहीं, मुझे नहीं मालूम लेकिन शिमला में रोटरी क्लब और इनरव्हील द्वारा कालीबाड़ी के पास देवदार के पौधे लगाने का अभियान चलाया गया था। शिमला में देवदार प्रमुख पेड़ है। वह समाप्त होता जा रहा है क्योंकि उसकी समयावधि डेढ़ सौ वर्ष तक ही होती है, वह लगभग खत्म हो गई है लेकिन रोटरी क्लब और इनरव्हील ने उसको मेंटेंन किया और आज भी अगर कोई नए पौधे देवदार के लगाए गए हैं, कालीबाड़ी के पास, ट्रेनिंग कमांड के सामने दिखाई देंगे। यह आज जनता की सहभागिता का परिणाम है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दो वर्षों में जब से माननीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारे वन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में वन विभाग ने 2018 में एक अभियान प्रारम्भ किया। वह अभियान तीन दिन चला और उसमें लगभग 86 हजार लोगों ने भाग लिया। उसमें तीन दिन में पौधरोपण किया गया और उसका सर्वाइवल रेट आज भी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक है। उसमें 17,86,893 पौधे लगाए गए थे। पुराने अभियान से उत्साहित हो कर वन विभाग द्वारा

फिर से इस वर्ष 2019 में यह अभियान आम जनता को साथ ले कर चलाया गया। जिसमें 1,18,932 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 26,47,146 पौधारोपण किया गया। इसमें 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाते हैं, यह नियम है। इनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाती है। यह जन-सहभागिता का एक बड़ा जीता-जागता प्रमाण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दो बहुत महत्वकांक्षी योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। आम जनता को इन्वॉल्व करके उसके अंतर्गत बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से, जायका की सहायता से, इस प्रकार के जो अनेक प्रोजैक्ट्स चले हैं, एक बड़ा प्रोजैक्ट बना कर, केन्द्रीय सरकार को भेजा जा रहा है ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिक पौधरोपण किया जा सके और इसमें अब आम जनता भी इन्वॉल्व हो रही है। हिमाचल प्रदेश में वन कट नहीं रहे हैं, अधिक वन लग रहे हैं। हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे भी अधिक वन लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

29.8.2019/1655/av/hk/1

इस दृष्टि से बहुत सारी आवश्यकताएं भी हैं जिसके लिए बोर्डर एरिया में हमारा जो फॉरैस्ट है जैसे यहां कहा गया कि वहां के लिए गाड़ी का प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए बोर्डर एरिया में स्मगलिंग को रोकने के लिए डी0एफ0ओज0 को गाड़ी की आवश्यकता है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसे पौधे लगे हुए हैं जिसके कारण वनों में आग लग जाती है और उससे हमारा वन क्षेत्र कम हो जाता है। उससे भी बचने की आवश्यकता है और उसके लिए भी विभाग जागरूक है। यहां पर नर्सरीज के बारे में भी कहा गया। नर्सरी भी ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है जहां उसके अनुकूल जलवायु व मिट्टी होती है और उसकी पूरी टैस्टिंग की जाती है। उसको ध्यान में रखकर कि किस क्षेत्र में कौन-सी नर्सरी लगनी चाहिए, उस नर्सरी को लगाया जाता है। मैं जैसे प्रारम्भ में कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमारे पास अपार वन संपदा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की आम जनता और आज तक समय-समय पर चाहे कोई भी सरकार रही हो, वह हमेशा पेड़ों के प्रति सदैव जागरूक रही है। यहां पर ट्री फैलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है

जबकि हिमाचल प्रदेश में वनों के आधार पर हम अपने संसाधन जुटा सकते थे। हमारे पास अपने दूसरे संसाधन न होने के बावजूद भी हमने सारे देश के पर्यावरण को बचाने और अपने प्रदेश को हरा-भरा रखने के लिए यहां फैलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। यहां पर जो अवैध कटान या अवैध स्मगलिंग इत्यादि होती है उसके लिए भी सरकार द्वारा समय-समय पर कारगर कदम उठाये जाते हैं। जागरूकता अभियान के अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय जनता तथा स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इसमें पुरस्कार की योजना भी रखी है। विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ऐसी सारी संस्थाएं जो इसमें काम कर रही उनको वन महोत्सव के अवसर पर सर्वोत्तम पौधा रोपण व सर्वोत्तम पौधा रोपण प्रबंधन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसमें विभाग के जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्य श्री सुख राम, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री जवाहर ठाकुर, श्री राकेश सिंघा और विशेषकर श्री राकेश पठानिया जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये इस प्रकार के सभी विषयों पर हो रही चर्चा में सम्मिलित होते हैं। इन सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य श्री सुख राम जी की भावना से हम सभी सहमत हैं और जो इनके सुझाव हैं उन पर वन विभाग निश्चित रूप से कार्यान्वयन करेगा। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये इस संकल्प को वापिस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत होकर अपना संकल्प वापिस लेते हैं?

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यहां कम-से-कम जितने फॉरैस्ट डिविजन हैं उसमें एक बीट के एक कम्पार्टमैंट में फलदार पौधे लगाने का आश्वासन तो दें। एक रेंज में केवल एक कम्पार्टमैंट में, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि हम जो पौधा रोपण करते हैं उसमें 30 प्रतिशत पौधा रोपण फलदार पौधों का करते हैं। कहां-कहां करना है इसके बारे में विभाग समीक्षा करके तय कर लेगा कि किस स्थान पर यह आवश्यक है या कहां पर लगाने हैं। अब जैसे लाहौल-स्पिति में नहीं लग सकते तो वहां नहीं लगेंगे, इसलिए इस बारे में विभाग तय करेगा। लेकिन हम इसमें 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाते हैं।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापिस लेना चाहेंगे?

श्री सुख राम : जी, हां।

क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए।

संकल्प वापिस हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

29.08.2019/1700/टी.सी.वी./डी.सी.-1

श्री नरेन्द्र बरागटा(जुब्बल-कोटखाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार से हैं:- "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की आपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन नीति को और दिशा देने पर पुनः विचार करें।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 के 11.00 बज़े पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 29.08.2019 **सचिव।**